मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.01.2014 से 31.12.2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास माता श्री ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.01.2014 से 31.12.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि लाखों में
1	15	श्री संजय कुमार चालक को ACPS तथा वेतन का अधिक भुगतान	0.26
2	16	कनिष्ठ अभियन्ताओं को वेतन का अधिक भुगतान	2.42
3	17 (i)	मन्दिर कर्मचारियों को ACPS तथा वेतन वृद्धि का अधिक भुगतान	7.43
4	18	श्री प्रबल कुमार शास्त्री को वेतन का अधिक भुगतान	0.21
5	19	न्यास कर्मचारियों को वेतन का अधिक भुगतान	0.18
6	20	श्री राज कुमार सेवादार को आश्रितों को अधिक भुगतान	0.17
7	21	दैनिक भोगी कर्मचारियों को सेवा निवृति/मुत्यु उपरान्त Gratuity/Retirerment assistance का अनियमित भुगतान	2.37
8	22	कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में अनियमित एवं गलत भुगतान	25.73
9	23	सरकारी कर्मचारियों को मानदेय का अनियमित भुगतान	1.32
10	24	दैनिक भोगी कर्मचारी को नियमों के विरूद्ध नियमित करना	–
11	25	भविष्य निधि अंशदान तथा जीवन बीमा (LIC) की राशि को जमा न करना	9.08
12	26	करूणामूलक आधार पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नियुक्ति करना	–
13	27	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	11.43

14	29	संविदाकारों के निर्माण बिलो से बिक्री कर तथा लेबर सैस की कटौती न करना	4.30
15	33	डिग्री कालेज ज्वालामुखी को अनुदान प्रदान करना	90.00

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी समायोजन/निपटारा सम्भव न हो सका। इस प्रकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई विभिन्न प्रकार की आपत्तियों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर आपत्तियों के निरस्तीकरण हेतु मन्दिर न्यास द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न करना स्वतः ही चिन्ताजनक है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेष रूप से अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध सीमा के भीतर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु मन्दिर न्यास के अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए ताकि गत कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े पैरों/अनुच्छेदों का निपटारा/समायोजन सम्भव हो सके तथा अंकेक्षण का उद्देश्य सार्थक हो सके। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट "A"** पर दी गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 01.01.2014 से 31.12.2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण, श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 18.11.16 से 18.1.17 तक तथा श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 2.1.17 से 12.1.17 तक ज्वालामुखी में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/14, 6/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/14, 6/15 का चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के नियन्त्रण अधिकारी/मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया

गया है। मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार सहायक आयुक्त मन्दिर तथा मन्दिर अधिकारी कार्यरत्त थेः–

क्र0सं0	नाम व पद	अवधि
1	श्री विनय कुमार सहायक आयुक्त मन्दिर	1.1.14 से 24.9.14
2	श्री संजीव कुमार सहायक आयुक्त मन्दिर	25.9.14 से 31.12.15
3	श्री देवी राम मन्दिर अधिकारी	1.1.14 से 9.3.15
4	श्री अशोक पठानिया मन्दिर अधिकारी	10.3.15 से 31.12.15

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के अवधि 01.01.2014 से 31.12.2015 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹69600/–बनता है जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 (हिमाचल प्रदेश) के नाम भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2017 दिनांक 18.1.17 द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की अवधि 01.01.14 से 31.12.15 की वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट–क)** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	2014	2015
प्रारम्भिक	151136409	175957567
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	98936969	105776444
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	14897050	16544717
कुल योग	**264970428**	**298278728**
वर्ष के दौरान व्यय	89012861	94865227
31.12.15 को अन्तशेष	175957567	203413501

(ख) अन्तिम शेष का विवरणः–

(i) बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.12.2015 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों मे जमा राशि का विवरण **(परिशिष्ट–ख)** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	जमा राशि
1	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100116332	2093505.87
2	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100163880	267781.02
3	पी0एन0बी0 ज्वालामुखी	0717000100199478	901970.32
4	कैनरा बैंक ज्वालामुखी	5065101000695	1480792.00
5	कैनरा बैंक ज्वालामुखी	2206610544	1610674.00

6	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स ज्वालामुखी	18912011000	1424442.00
7	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया ज्वालामुखी	10551097078	1357271.00
		कुल योग	**9136436.21**
		Rouneded off	**9136436.00**

(ii) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.15 तक **परिशिष्ट "ग"** पर दिए गए विवरणानुसार ₹196109649/– निवेशित की गई थी जिसे परिपक्वता पर पुनः निवेशित करना व प्राप्त ब्याज का रोकड़ वही में लेखांकन करना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त क्रम संख्या (i) व (ii) का कुल योग (₹9136436+₹1961099649=₹205246085)	₹205246085
रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	₹203413501
अन्तर	**₹1832584**

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः– परिशिष्ट–घ

रोकड़ बही के अनुसार 31.12.15 को अन्तिम शेष			₹203413501
जमाः–	चैक भुगतान हेतु जारी किए गए परन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए		(+)₹2277662
(क)	पंजाब नैशनल बैंक	₹773569	
(ख)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	₹432301	
(ग)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	₹460743	
(घ)	कैनरा बैंक	₹109851	
(ङ)	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	₹501198	
	योग	**₹2277622**	
माईनस	दिनांक 30.12.15 तथा 31.12.15 को पी0एन0बी0 ज्वालामुखी में जमा करवाई गई राशि जिसे बैंक द्वारा 31.12.15 को क्रेडिट नहीं किया गया		(–) ₹445078
	दिनांक 31.12.15 को बैंक पास बुक/सावधि जमा में शेष		₹205246085

5 आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषणः–

(क) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी कीं वर्ष 2014 तथा 2015 की आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण निम्न प्रकार से हैः'–

वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014	113834019	89012861
2015	122321161	94865227
	(+) 7.45% वृद्धि	(+) 6.57% वृद्धि

(ख) स्थापना व्ययः–

मन्दिर न्यास में एक अधिकारी तथा एक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त नियमित कर्मचारी 67, दैनिक भोगी कर्मचारी 10, मन्दिर की सुरक्षा के लिए 12 गृह

रक्षक तथा 14 सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत्त है। इन कर्मचारियों को वेतन के रूप में वर्ष 2014 में ₹31881884 तथा वर्ष 2015 में ₹36852568 खर्च किए गए है जोकि वर्ष 2014 तथा 2015 की कुल आय का क्रमशः 28**%** तथा 30**%** है। वर्ष में लगने वाले मेलों के दौरान 50 सफाई कर्मचारी, 50 अस्थाई कर्मचारी, 60 से 100 तक गृह रक्षक अलग–अलग नियुक्त किए जाते हैं जिनके लिए अलग से व्यय किया जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मन्दिर न्यास के स्थापना के अतिरिक्त अन्य समस्त खर्चों को नियन्त्रण में लाने के लिए प्रभाव कार्रवाई अमल में लाई जाए।

6 भैरों मन्दिर की रोकड़ बही का रख रखाव न करना तथा विभिन्न बैंक योजनाओं में जमा ₹560663 के बारे में:–

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी के भैरों मन्दिर में रखे गए कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा किया जा रहा है परन्तु भैरों मन्दिर से प्राप्त चढ़ावे को न तो मन्दिर न्यास की रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही अलग से रोकड़ बही का रख रखाव किया गया है। भैरों मन्दिर की पास बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि इन पास बुकों से राशि भी आहरित की जा रही है जबकि मन्दिर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान मन्दिर न्यास की रोकड़ बही से आहरित किया जा रहा है। अतः भैरों मन्दिर से प्राप्त आय को या तो मन्दिर न्यास की रोकड़ बही में दर्ज करना अथवा अलग से रोकड़ बही का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए। मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट "ङ"** पर संलग्न है, के अनुसार भैरों मन्दिर के बचत खातों तथा सावधि जमाओं में दिनांक 31.12.15 तक ₹560663 जमा है।

क्र0सं0	**विवरण**	**राशि**
1	पी0एन0बी0 बचत खाता संख्या 0717000102726414 में जमा	18174
2	सावधि जमा पंजाब नैशनल बैंक	
	(i) संख्या 0717000P00016675	120239
	(ii) संख्या 0717000P0000489	172250
	(iii) संख्या 0717000P0007701	250000
	योग	**₹560663**

7 सोना एवं चांदीः–

(क) अवधि 1/14 से 12/15 तक सोने की स्थिति (परिशिष्ट "च") के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2014

	किलोग्राम	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
आरम्भिक शेष	37	331	179
प्राप्ति	00	961	700
कुल योग/अन्तशेष	**38**	**292**	**879**

वर्ष 2015

	किलोग्राम	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
आरम्भिक शेष	38	292	879
प्राप्ति	01	146	450
कुल योग/अन्तशेष	**39**	**439**	**329**
स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने की मात्रा	**39**	**046**	**329**
अन्तर	**–**	**393**	**–**

अन्तर का कारणः– वर्ष 2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) के अन्तर्गत उपरोक्त अन्तर का कारण अशुद्ध सोने की मात्रा को दर्शाया गया है जिसका मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। अतः इस विसंगति का तुरन्त निपटारा किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट "च"** में दर्शाई गई सोने की मात्रा को उपरोक्त विवरणानुसार ठीक किया जाए। यह मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि उक्त विसंगति का निपटारा सम्भव हो सके।

(ख) अवधि 1/14 से 12/15 में चाँदी की स्थिति (परिशिष्ट "च") के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से हैः–

वर्ष 2014

	क्विंटल	**किलो**	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
आरम्भिक शेष	12	57	103	100
वर्ष के दौरान प्राप्ति	–	57	913	000
कुल योग/अन्तशेष	**13**	**15**	**016**	**100**

वर्ष 2015

	क्विंटल	**किलो**	**ग्राम**	**मिली ग्राम**
आरम्भिक शेष	13	15	016	100
वर्ष के दौरान प्राप्ति	–	86	974	000
कुल योग/अन्तशेष	**14**	**01**	**990**	**100**

(ग) चाँदी की 4 ग्राम 500 मिलीग्राम मात्रा कम दर्ज करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त चाँदी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में 4.500 मिलीग्राम चाँदी की मात्रा कम दर्ज की गई है।

(i)

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	रसीदों में दर्ज मात्रा	चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम दर्ज मात्रा
1	10.8.14	21496	23 ग्राम 500 मिलीग्राम	23 ग्राम	500 मिलीग्राम

(ii) मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा नवम्बर माह में दर्ज किए गए चाँदी की वास्तविक मात्रा के योग में निम्नानुसार 4 ग्राम मात्रा कम दर्शाई गई है।

माह	वास्तविक मात्रा का योग			दर्शाई गई मात्रा का योग			कम दर्शाई गई मात्रा		
	कि0ग्रा0	ग्रा0	मिलीग्रा0	कि0ग्रा0	ग्रा0	मिलीग्रा0	कि0ग्रा0	ग्रा0	मिलीग्रा0
11/15	08	426	00	08	422	00	00	04	00

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति करने के उपरान्त दर्ज की गई कम मात्रा को भण्डार रजिस्टर में दर्ज करवा लिया गया है तथा जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

8 बजटः–

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी का अवधि 1/14 से 12/15 तक स्वीकृत बजट तथा व्यय निम्नानुसार थाः–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय
2014	136550000	89012861
2015	178470000	94865227

9 गल्ला रजिस्टर में नोटों की संख्या में कटिंग/ओवरराईटिंग करना व कटिंग/ओवरराईटिंग को सत्यापित न करनाः–

गल्ला रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि माह 4/14 के दौरान विभिन्न दिनांकों को गल्ला रजिस्टर में प्राप्त दर्शाए गए नोटों की संख्या में कटिंग/ओवरराईटिंग करके कम या अधिक किया गया है। नोटों की संख्या में कटिंग उपरान्त कमी करने के कारण किसी भी दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है। गल्ला रजिस्टर में नोटों की संख्या में कटिंग/ओवरराईटिंग को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। माह 4/14 में गल्ला रजिस्टर में नोटों की संख्या में कटिंग/ओवरराईटिंग का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	नोट / सिक्के (₹)	संख्या	कटिंग / ओवरराईटिंग उपरान्त दर्शाई गई संख्या
1	12.4.14	1000	480	48
2	14.4.14	50	1928	1428
3	14.4.14	20	871	971
4	14.4.14	2 (सिक्के)	2500	2400
5	15.4.14	100	1695	1595

उक्त गल्ला रजिस्टर में नोटों की संख्या में कटिंग / ओवरराईटिंग के गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 / 2017 दिनांक 12.01.2017 को अंकेक्षण के दौरान ही आवश्यक कार्यवाही करने हेतु से मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 45 दिनांक 17.1.17 के द्वारा सूचित किया है कि कटिंग / ओवरराईटिंग को सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित करवा लिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 ₹130 का दुरूपयोगः—

गल्ला रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नोटों की गणना में त्रुटि के कारण वास्तविक योग से कम योग दर्शाकर निम्नानुसार ₹130 का दुरूपयोग किया गया।

दिनांक	गल्ला रजिस्टर पेज सं0	नोट	संख्या	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	अन्तर
10.4.14	26	50	25	1250	1150	100
29.6.15	86	20	102	2040	2020	20
29.6.15	86	5	83	415	405	10
					योग	₹130

अतः उपरोक्त उल्लेखित गल्ला रजिस्टर में गणना में त्रुटि के कारण दुरूपयोग की गई ₹130 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 ₹50 का दुरूपयोगः—

जाँच के दौरान पाया गया कि गल्ला रजिस्टर पृष्ठ संख्या 30 में दिनांक 15.4.14 को ₹150 के फटे पुराने नोट प्राप्त किए गए दर्शाए है लेकिन दैनिक बुक में दिनांक 15.4.14 को केवल फटे पुराने नोट ₹100 दर्ज किए गए जिसके फलस्वरूप दैनिक बुक में ₹50 (100—50) के फटे पुराने नोट कम दर्ज किए गए। अतः उक्त कम दर्ज की गई राशि की वसूली उचित

स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय में से ₹1820 कम जमा करवाने बारेः–

मन्दिर न्यास की आय की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास के कर्मचारियों द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय में से ₹1820 कम जमा करवाये गये थे। अंकेक्षण के दौरान ₹1820 की वसूली रसीद संख्या 26963 दिनांक 4.1.17 द्वारा जमा कर दी गई है जिसकी पुष्टि कर ली गई।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	दिनाँक	रसीद सं0	कुल रसीदें	दर्ज की गई रसीदें	कम दर्ज की गईरसीदें	प्रति रसीद मूल्य	राशि
1	श्री अवतार सिंह	दिनांक 30.6.15 को डे रजिस्टर पृ0सं0 186 का योग ₹10530 बनता था जिसे ₹9530 योग में लिया गया। इस प्रकार ₹1000 येग में कम लिए गए।						1000
2	श्री अवतार सिंह	4.4.14	29450 से 29463	14	13	1	20	20
3	श्री रजिन्द्र सिंह	8.4.14	16556 से 16600	45	44	1	100	100
4	श्री जोगिन्द्र सिंह	1.6.15	44552 से 44583	32	31	1	500	500
5	श्री जोगिन्द्र सिंह	13.6.15	26276 से 26300	25	24	1	50	50
6	श्री अशोक कुमार	28.6.15	26795			1	50	50
7	श्री अशोक कुमार	29.6.15	38416			1	100	100
						कुल योग		**₹1820**

13.1 रसीदें प्रस्तुत न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार चढ़ावे हेतु प्राप्त ₹20615 की रसीदें वर्तमान अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार रसीदों के अभाव में उपरोक्त प्राप्त राशि की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वाँछित रसीदें आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उपरोक्त उल्लेखित प्राप्त राशि की सत्यता की पुष्टि सम्भव हो सके।

क्र0सं0	रसीद सं0	रसीद सं0	मास	राशि
1	22501	22600	6/15	1000
2	4721	4727	4/14	121
3	18298	—	4/14	100
4	17301	17700	4/14	3000
5	4728	4731	4/14	101
6	14364	—	4/14	501
7	4732	4739	4/14	140
8	17701	18100	4/14	4000
9	4740	4747	4/14	150
10	18300	—	4/14	400
11	20564	20565	4/14	751
12	14372	14373	4/14	4300
13	14374	—	4/14	1101
14	20703	—	4/14	1100
15	20595	—	4/14	750
16	14381	—	4/14	2100
17	18200	—	4/14	1000
			कुल योग	**₹20615**

13.2 मन्दिर न्यास की दुकान नं0 27 से प्राप्त किराया ₹963 को दैनिक रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा माह नम्बर में प्राप्त किराया ₹963 को डे रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

दिनांक	रसीद सं0	किरायेदार का नाम	दुकान नं0	प्राप्त राशि
11.4.14	020540	श्री देशबन्धु	27	963

उपरोक्त राशि को न तो रोकड़ बही दर्ज किया गया न ही बैंक में जमा करवाया गया। अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित किया जाए।

14 लंगर में राशन एवं अन्य सामान इत्यादि को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014 एवम 2015 में लंगर की रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री एवं अन्य मदों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है। लंगर में रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री व अन्य मदों सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	सामान का विवरण	मात्रा
1	14711	7.4.14	आलू	8Kg
2	14712	7.4.14	मिर्च	½Kg
3	14736	16.4.14	आलू	60Kg
4	15746	15.6.15	डालडा घी0	½Kg

5	14709	6.4.14	स्टील थाली	5
6	14709	6.4.14	चम्मच	5
7	14761	25.4.14	पंखा	1

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 7 पर उल्लेखित कम दर्ज किए गए सामान को अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए इस सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करवा दिया गया है तथा सामान को दर्ज करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

15 श्री संजय कुमार चालक को ACPS की बकाया राशि एवं वेतन ₹0.26 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री संजय कुमार चालक की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या 147–154 दिनांक 26.9.14 के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR)B (7) 59/2010 दिनांक 9.8.12 के अनुसार उन्हें 4–9–14 (ACPS) का लाभ देते हुए वाउचर संख्या 13 दिनांक 21.10.14 द्वारा दिनांक 9.8.12 से 30.9.14 तक की बकाया राशि का भुगतान किया गया। दिनांक 9.8.12 को उनका वेतन ₹8960+2400 (GP) निर्धारित किया गया परन्तु नियमानुसार उन्हें उक्त अवधि में ₹8930+2000 (GP) ही देय थी। मास 1/2014 को उनका वेतन ₹10030+2800 (GP) निर्धारित किया गया परन्तु उन्हें 1/14 को ₹9950+2400 (GP) ही देय थी। मन्दिर न्यास द्वारा इस चूक का निराकरण अपने स्तर पर करते हुए मास 1/2015 से उनका वेतन 10360+2400 (GP) निर्धारित किया गया परन्तु गणना के अनुसार उन्हें 1/2015 को 10320+2400 (GP) ही देय बनते थे। इस प्रकार उन्हें अवधि 9.8.12 से 31.12.15 तक ₹26032 का भुगतान **(परिशिष्ट–छ)** वेतन के रूप में अधिक किया गया। इस मामले बारे सूचना अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 279/2016 दिनांक 17.12.16 के द्वारा मन्दिर अधिकारी को दे दी गई है। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 34 दिनांक 15.1.2017 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कर्मचारी को अधिक किए गए भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जा रही है। अतः अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **मन्दिर न्यास द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओ को वेतन के रूप में ₹2.42 लाख का अनियमित/अधिक भुगतानः–**

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी में कार्यरत्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या 147–154 दिनांक 26.9.14 के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B(7) 59/2010 दिनांक 9.8.2012 के अनुसार उन्हें 4.9.14 (ACPS) का लाभ देते हुए वाउचर संख्या 13 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा 9.8.12 से 30.9.14 तक का बकाया राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह कहना भी उचित नहीं है कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या CT-KGR-1038-1045 दिनांक 15.12.2014 के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B (7) 59/2010 दिनांक 27.9. 2012 जिसका विषय, "Revision of Pay structure under the Career Progression scheme applicable to Junior Engineers" का लाभ दिनाँक 1.10.14 से कनिष्ठ अभियन्ताओं को देने के लिए निर्देश दिए गए। अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 273/2016 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में लाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं को 4–9–14 (ACPS) का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B(7) 59/2010 दिनांक 9.8.2012 के अनुसार देय नहीं है। उन्हें वास्तव में "Career Progression Scheme to junior Engineer" का लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR) B(7) 59/2010 दिनांक 27.9.2012 जोकि दिनांक 1.10.2012 से हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ अभियन्ताओं को देय है तथा आयुक्त मन्दिर ने आदेश संख्या CT-KGR-1038-1045 दिनांक 15.12.2014 के द्वारा इस "Carreer Progression Scheme to junior Engineer" को दिनांक 1.10.2014 से भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अंकेक्षण द्वारा आयुक्त मन्दिर के उक्त निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए कनिष्ठ अभियन्ताओं को अधिक भुगतान की गई राशि **(परिशिष्ट–ज)** ₹242487 बनती है। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर कनिष्ठ अभियन्ताओं को अधिक भुगतान की गई राशि का नियमतिकरण करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली निम्नानुसार उचित स्त्रोत से की जाए।

क्र0सं0	**कनिष्ठ अभियन्ता का नाम**	**अधिक भुगतान**	**टिप्पणी**
1	श्री शमशेर सिंह	182630	सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति
2	श्री सुरेश कुमार	59857	
		242487	

17.1 मन्दिर न्यास द्वारा लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि तथा ACPS (4–9–14) के अनियमित भुगतान ₹7.43 लाख बारेः–

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट काँगड़ा के पत्र संख्या 1054–1062 दिनांक 15.9.2010 के द्वारा मन्दिर न्यास ज्वालामुखी के लिपिकों/वरिष्ठ सहायकों को कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए नामित/चयनित किया गया। आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश काँगड़ा के पत्र संख्या CT-KGR-Temple-992-999 दिनांक 18.7.2011 के अनुसार दिनांक 18.6.2010 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 6 भाग बी (जिसके अनुसार विषयांकित प्रशिक्षण के उपरान्त दक्षतापूर्ण मशीनों का उपयोग न करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि न दिए जाने के आदेश पारित किए गए थे, की अनुपालना रिपोर्ट भेजी जाए। इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में की गई वार्षिक वेतन वृद्धि की अदायगी की राशि की भरपाई सम्बन्धित मन्दिर अधिकारी/बिल कलर्क से की जाएगी।)

जो कर्मचारी अभी तक कम्पयूटर मशीनों से टंकण कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें वेतन वृद्धियाँ न देकर तीन महीनों में अपेक्षित दक्षता हासिल करने के लिए निर्दिष्ट करें। इस अवधि की समाप्ति पर अकुशल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसमें पदावनति शामिल हो, की अनुशंसा करें।

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी द्वारा जिन लिपिकों/वरिष्ठ सहायकों को कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था। उनका प्रशिक्षण के उपरान्त समय–समय पर टाईपिंग टैस्ट लिया गया है तथा इनमें से किसी भी कर्मचारी ने टाईपिंग टैस्ट उत्तीर्ण नहीं किया। इनमें से कुछ कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मन्दिर न्यास द्वारा जारी रखी गई तथा कुछ कर्मचारियों की दिनांक 1.6.2010 से वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या 147–154 दिनांक 26.2.2014 के द्वारा इन कर्मचारियों को ACPS (4–9–14) का भी लाभ देते हुए दिनांक 9.8.2012 से 30.9.2014 तक बकाया राशि का भुगतान किया गया जोकि नियमों के विरूद्ध है।

इसके अतिरिक्त श्री बलदेव सिंह लिपिक तथा श्री कमल कुमार, लिपिक की सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के अनुसार उन्होने दिनांक 10.11.14 को कम्पयूटर टाईपिंग टैस्ट पास किया है तथा उन्हें वेतन वृद्धियों तथा ACPS (4–9–14) का लाभ तथा बकाया राशि का भुगतान 9.8.2012 से किया गया है। FR 26 के नीचे दिए गए भारत सरकार वित्त मन्त्रालय के OM No. F 3 (3)-E III (A)/75 दिनांक 8.6.1975 के अनुसार उनको बकाया राशि का भुगतान

देय नहीं था तथा उन्हें भुगतान टाईपिंग टैस्ट उत्तीर्ण करने के पश्चात सभी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ जारी करते हुए बिना बकाया राशि के वास्तविक रूप से दिनांक 10.11.2014 अर्थात उनके टाईपिंग टैस्ट पास करने की तिथि से किया जाना था। अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 272/2016 दिनांक 14.12.2016 तथा पत्र क्रमांक 7/2017 दिनांक 4.1.17 के द्वारा मन्दिर अधिकारी के ध्यान में ला दिया गया है। मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार श्रीमती अन्जू शर्मा को दिनांक 1.4.1993 से हिन्दी टाईपिस्ट तथा श्रीमती रानो देवी को 1.1.1994 से कलर्क टाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति दी गई है। इन दोनों कर्मचारियों को भी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट काँगड़ा जिला के पत्र संख्या 1054–1062 दिनांक 15.9.2010 के द्वारा कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए नामित/चयनित किया गया था। अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 272/2016 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास ज्वालामुखी को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे अनुरोध किया गया कि इन दोनों कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियाँ देय हैं या नहीं ताकि तदानुसार मामले का निपटारा किया जा सके। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमाँक 46 दिनांक 17.1.17 के द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया है कि श्रीमती अन्जू शर्मा व0सहा0 तथा श्रीमती आदर्श बाला व0सहा0 ने भी वर्ष 2014 में कम्पयूटर टैस्ट पास किया है तथा श्रीमती रानो देवी लिपिक के बारे में उनके द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B (7)-51/98 दिनांक 27. 3.2002 के अनुसार, "The matter has been examined in consultation with the department of Pessonel and it has been decided that since the the incumbent is not allowed to draw annual increments for want of Passing requisite type/short hand test, the next higher pay scale/benefit under Assused career progression should also not be allowed from the due date. However, the same can be allowed notionally from due date and factually from the date of passing the test,."

परन्तु मन्दिर न्यास ज्वालामुखी ने अपने लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकी गई थी तथा उनका टाईपिंग टैस्ट भी लिया जा रहा है बिना टाईपिंग टैस्ट उत्तीर्ण किए वार्षिक वेतन वृद्धियों तथा ACPS (4-9-14) का अनियमित रूप से ₹743267 का भुगतान किया गया (**परिशिष्ट "झ"**) जोकि प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की अवहेलना है। मन्दिर अधिकारी के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 272/2016 दिनांक 14.12.2016, पत्र क्रमांक 7/2017 दिनांक 4.1.2017 तथा पत्र क्रमांक

15/2017 दिनांक 17.1.2017 के द्वारा ला दिया गया है। अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए किए गए भुगतान बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए भुगतान की वसूली की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पद	अनियमित भुगतान	टाईप टैस्ट पास करने की तिथि	अ0अ0 के पत्र सं0 व दि0
1	श्री अशोक कुमार व0लि0	35451	–	7/17 दिनांक 4.1.17
2	श्री नरेश कुमार व0लि0	206325	–	272/16 दिनांक 14.12.16
3	श्री मनोहर लाल व0 सहा0	58788	–	–यथोपरि–
4	श्री बलदेव सिंह व0लि0	130672	10.11.14	–यथोपरि–
5	श्री कमल कुमार व0लि0	86642	10.11.14	–यथोपरि–
6	श्रीमती अन्जू शर्मा व0सहा0	74894	5.3.14	15/2017 दि0 17.1.17
7	श्रीमती राने देवी लिपिक	150495	–	–यथोपरि–
	योग	**₹743267**		

17.2 मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि में श्रीमती आदर्श बाला वरिष्ठ सहायक को ACPS (4-9-14) की बकाया राशि तथा वेतन का भुगतान किया गया है तथा उनका अब तबादला मन्दिर न्यास से हो गया है। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 46 दिनांक 17.1.2017 के द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया है कि उन्होने भी वर्ष 2014 में टाईपिंग टैस्ट पास किया है। अनुभाग अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 15/2017 दिनांक 17.1.2017 के द्वारा श्रीमती आदर्श बाला वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण में उनकी सेवा पुस्तिका आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में उनको अनियमित रूप से किए गए 4–9–14 (ACPS) तथा वेतन वृद्धियों की गणना की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उनकी सेवा पुस्तिका अपने स्तर पर जाँच करके अनियमित भुगतान की वसूली यदि कोई हो तो सुनिश्चित की जाए।

17.3 श्रीमती रानो देवी लिपिक की सेवा निवृति तिथि 31.8.2014 थी परन्तु वह 31.3.2015 तक नियमानुसार सेंवा विस्तार पर थी। उपरोक्त के दृष्टिगत उनको Leave encashment तथा gratuity का कोई अधिक भुगतान यदि कोई हो की गणना भी अपने स्त्तर पर करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए जिसके बारे में अनुभाग अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 15/2017 दिनांक 17.1.2017 के द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया है।

18 श्री प्रबल कुमार शास्त्री को गलत वेतन वृद्धि व ACPS (4–9–14) तथा गलत ग्रेड पे देने के कारण ₹0.21 लाख का अधिक भुगतानः–

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र संख्या 483–85 दिनांक 16.5.2015 के द्वारा मन्दिर न्यास के शास्त्री अध्यापकों को हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (PR)-B(7)-64/2010 दिनाँक 27.9.2012 के अनुरूप संशोधित ग्रेड पे ₹4400 को दिनांक 1.10.2014 से भुगतान करने के निर्देश दिए। मन्दिर आयुक्त एवं जिलाधीश काँगड़ा के पत्र क्रमांक 1038–1045 दिनांक 15.12.2014 के अनुसार, "This benefit may not be given to those employees who have already been granted these financial enhancements by way of promotion/upgradations/ACPS." श्री प्रबल कुमार शास्त्री की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 1.10.2014 से पूर्व तीन ACPS (4-9-14) ले चुके थे तथा उन्हें आयुक्त (मन्दिर) के निर्देशानुसार ₹4400 ग्रेड पे देय न थी तथा उनकी सेवा पुस्तिका में भी उन्हें ₹4200 ग्रेड पे दी गई थी परन्तु वेतन भुगतान पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि 1/2015 से उन्हें ₹16250+4200 ग्रेड पे 4/15 से 16250+4400 ग्रेड पे का भुगतान किया गया जबकि सेवा पुस्तिका के अनुसार उन्हें 1/2015 से ₹15650+4200 ग्रेड पे ही देय थी। इसके अतिरिक्त उन्हें वाउचर संख्या 230 मास 6/2015 द्वारा भी ग्रेड पे ₹4400 की बकाया ₹2428 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें कुल ₹21460 **(परिशिष्ट ञ)** का अधिक भुगतान किया गया। इसकी सूचना मन्दिर अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमाँक 12/2017 दिनांक 7.1.2017 के द्वारा दे दी गई है। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमाँक 35 दिनांक 15.1.2017 के द्वारा सूचित किया है कि अधिक भुगतान की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली उपरान्त कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को वेतन ₹0.18 लाख का अधिक भुगतानः–

मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि उनके वेतन का निर्धारण गलत करने के कारण निम्न कर्मचारियो को ₹17863 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी सूचना मन्दिर अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 278/2016 दिनांक 17.12.16 पत्र क्रमांक 280/2016 दिनांक 17.12.16 तथा पत्र क्रमांक 11/2017 दिनाक 7.1.17 के द्वारा दे दी गई है। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 31 दिनांक 15.1.2017, 32 दिनांक 15.1.17, 33 दिनांक 15.1.2017 के द्वारा सूचित किया है कि अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से कर ली जाएगी। अतः वाँछित कार्यवाही के उपरान्त इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पद	अधिक भुगतान	अनुभाग अधकारी के पत्र क्रमांक व दिनांक
1	श्रीमती सुनीता देवी लिपिक	1044	278/2016 दिनांक 17.12.16
2	श्री गगन कुमार सेवादार	3248	–यथोपरि–
3	श्री रजनीश कुमार पुजारी	519	280/16 दिनांक 17.12.16
4	श्री टेक बहादुर सेवादार	414	11/17 दिनांक 7.1.17
5	श्री राज कुमार सेवादार	5500	–यथोपरि–
6	श्री पिंकु कुमार सेवादार	5948	–यथोपरि–
7	श्री संतोष कुमार सेवादार	1190	–यथोपरि–
		₹17863	

उपरोक्त कर्मचारियों को अधिक किए गए भुगतान की गणना दिनांक 31.12.2015 तक **(परिशिष्ट–ट)** में संलग्न है। जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

20 श्री राज कुमार सेवादार के परिवार वालों को उनकी मृत्यु के उपरान्त Death Gratuity (मृत्यु उपदान) Leave Encashment के रूप में ₹0.17 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री राज कुमार सेवादार की सेवा पंजिका व मृत्यु उपरान्त किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि उनके आश्रितों को Gratuity व Leave Encashment का कुल ₹16629 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया। इस मामले को मन्दिर अधिकारी के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 10/2013 दिनांक 7.1.2017 के द्वारा ला दिया गया है। अतः निम्न विवरणानुसार किए गए अधिक भुगतान का या तो नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

अन्तिम वेतन जिसका भुगतान किया गया	7260+1900+9801	18961

वास्तव में देय वेतन	7010+1650+9266	17926
	अन्तर	₹1035
Death gratuity का अधिक भुगतान	1035x2	₹12420
Leave Encashment का अधिक भुगतान (उनके खाते में 122 अर्जित अवकाश जमा थे)	1035x122/30	₹4209
	योग	**₹16629**

21 मन्दिर न्यास के दैनिक भोगी कर्मचारियों को सेवा निवृति/मुत्यु उपरान्त भुगतान की गई Gratuity/Retirement Assistance की ₹2.37 लाख के अनियमित भुगतान बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार दैनिक भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृति/मृत्यु के उपरान्त Gratuity/retirement assistance की ₹237201 का भुगतान किया गया। आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश काँगड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 1475–1485 दिनांक 15.12.2010 के द्वारा "Amendment of Kangra District Temple Trust Employees service Rules 2000" में द्वितीय संशोधन करते हुए इस भुगतान बारे दिशा निर्देश जारी किए है। परन्तु हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 3 (ख) के अनुसार "मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की शर्तें ऐसी होगी, जैसी मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अधिसूचित की जाए।" इस अनियमित भुगतान बारे मामला मन्दिर अधिकारी क ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 9/2017 दिनांक 7.1.2017 के द्वारा ला दिया गया है। अतः मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति लेकर इस भुगतान को नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹237201 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 37 दिनांक 15.1.2017 के द्वारा सूचित किया है कि दैनिक भोगी कर्मचारियों को सेवा निवृति उपरान्त किए गए भुगतान बारे सहायक आयुक्त मन्दिर उपमण्डल अधिकारी ज्वालामुखी के माध्यम से कार्योत्तर स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव मन्दिर एवं भाषा हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया है।

क्र0सं0	दैनिक भोगी कर्मचारी का नाम व पद	सेवा निवृति/मृत्यु की तिथि	भुगतान (₹)	आयुक्त मन्दिर के आदेश संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	श्री ओम प्रकाश (शहनाई वादक)	31.5.15	87231	707–708 दिनांक 25.7.15	–
2	श्रीमती हुक्मी देवी (ढुशालन)	31.3.14	72432	285–286 दिनांक 28.4.14	–
3	श्री गिरधारी लाल (शहनाई वादक)	31.12.14	47077	130–131 दिनांक 30.1.15	–

4	श्री लेख राज (सेवादार)	31.10.15	30461	30–31 दिनांक 6.1.16	श्री लेख राज सेवादार नियमित रूप से कार्य कर रहे थे परन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उनकी दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवाएं ही गणना में ली गई है।
		योग	**₹237201**		

22 मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में ₹25.73 लाख का अनियमित एवं गलत भुगतानः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया आयुक्त मन्दिर न्यास एवं जिलाधीश काँगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या 512–517 दिनांक 16.5.15 की अनुपालना में वाउचर संख्या 19 मास 6/2015 के अन्तर्गत मन्दिर कोष से मन्दिर न्यास कर्मचारियों को ₹2573203 का भुगतान प्रोत्साहन के रूप में किया गया है। उक्त प्रोत्साहन की राशि की गणना का आधार मन्दिर न्यास की वर्ष 2013 की आय की तुलना में वर्ष 2014 की आय में हुई वृद्धि का दस प्रतिशत दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 व कांगड़ा जिला मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2000 के नियमों में मन्दिर न्यास कर्मचारियों को उक्त प्रकार की प्रोत्साहन की राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप प्रोत्साहन के रूप में मन्दिर कोष से व्यय की गई ₹2573203 मन्दिर न्यास कोष पर अनियमित प्रभार है। अतः उक्त अनियमित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मन्दिर कोष से उक्त प्रकार अनियमित भुगतानों, जिनका मन्दिर न्यास अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि मन्दिर कोष पर पड रहें अनियमित बोझ को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखित है कि मन्दिर न्यास कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। अतः प्रोत्साहन के रूप में किए गए गलत एवं अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

23 सरकारी कर्मचारियों को भुगतान की गई मानदेय ₹1.32 लाख के अनियमित भुगतान बारेः–

उप सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LCD-B(2)9/94-1 दिनांक 21.12.2010 के अनुसार, " If any, remuneration been is being paid in contravention of the provision of act, ibid (as amended in 2007 & 2010 respectively) it will amount to audit objections, therefore, timely action for recovery be made from the concerned officers/officials of the government deputed in the temple trust." मन्दिर न्यास में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को भुगतान की गई Honorarium की राशि की सूचना उपलब्ध करवाने बारे मन्दिर अधिकारी से अनुभाग अअधिकारी के पत्र क्रमांक 8/2017 दिनांक 4.1.2017 द्वारा अनुरोध किया गया। मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक ज्वा0म0–1/2017 (ऑडिट फाईल)–10 दिनांक 10.1.2017 के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा 1/2014 से 12/2015 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ₹132000 की राशि मानदेय के रूप में की गई है जिसका या तो नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार के भुगतान पर अंकुश लगाया जाए।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	अवधि	राशि
1	श्री विनय कुमार उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा	1/14 से 9/14	2000x9=18000
2	श्री संजीव कुमार उपमण्डल अधिकारी (ना0) ज्वालामुखी	10/14 से 12/15	2000x15=30000
3	श्री देवी राम मन्दिर अधिकारी	1/14 से 2/15	2000x14=28000
4	डा0 अशोक कुमार पठानिया मन्दिर अधिकारी	3/15 से 12/15	2000x10=20000
5	श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर सहायक मन्दिर अधिकारी	9/14 से 12/15	1500x16=24000
		योग	**₹132000**

24 दैनिक भोगी कर्मचारी को नियमों के विरूद्ध नियमित करने बारेः–

श्री विक्रम चन्द सेवादार की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उन्हें आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) ज्वालामुखी के पत्र संख्या 330–32 दिनांक 16.6.15 के द्वारा नियमित किया गया तथा दिनांक 18.6.15 से उन्होने नियमित रूप से कार्यग्रहण कर लिया है। परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा उनकी निजि नस्ति में संलग्न की गई

सूचना के अनुसार, "सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डलाधिकारी ना0 देहरा के पत्र संख्या क्रमांक 179–180 दिनांक 19.5.2001 द्वारा श्री विक्रम चन्द सुपुत्र श्री नारायण दास को श्री तारा देवी मन्दिर में सफाई कार्य हेतु मस्ट्रोल पर नियुक्त किया गया था। एक माह की अवधि उपरान्त सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी ना0 देहरा ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक संख्या 899 दिनांक 2.7.2001 द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों पर 89 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था। आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 568–569 दिनांक 9.4.2012 द्वारा उक्त कर्मचारी को मस्ट्रोल से परिवर्तित करके दैनिक भोगी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा कर्मचारी दिनांक 12.4.2012 से दैनिक भोगी के रूप में कार्य कर रहा है।" हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PER (AP)-C-B(2)-1/2014 दिनांक 28.6.2014 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने बारे कहा गया है। परन्तु श्री विक्रम चन्द सेवादार ने दिनांक 12.4.2012 से दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करना आरम्भ किया है तथा 3 वर्ष के पश्चात दिनांक 16.6.2015 से नियमित किया गया है। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 275/2016 दिनांक 14.12.16 के द्वारा मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया।

25 भविष्य निधि अंशदान तथा जीवन बीमा (LIC) की वेतन से की गई कटौती ₹9.08 लाख को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने बारेः–

मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को चयनित मास में भुगतान किए गए वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उनकी भविष्य निधि अंशदान तथा जीवन बीमा की ₹908323 को सम्बन्धित विभागों में जमा करवाने की रसीदें/अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः रसीदें सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करके कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

वा0सं0	मास	भविष्य निधि अंशदान की राशि	जीवन बीमा (LIC) की राशि	कुल राशि
1	10/2014	367077	53352	420429
207	6/2015	436552	51342	487894
			योग	**₹908323**

26 करूणामूलक आधार पर की गई नियुक्तियों के बारे मेंः–

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन अधिनियम 2007 की धारा 4 (4) के अनुसार, "किसी भी मन्दिर में भर्ती, मद का क्रय या नया निर्माण कार्य

मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा।" जाँच में पाया गया कि अवधि 1/2014 से 12/2015 तक आयुक्त (मन्दिर) की अनुमति लेने के उपरान्त ही दैनिक भोगी आधार पर ही मन्दिर में करूणामूलक नियुक्तियाँ की गई है। इस बारे मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 6/2017 दिनांक 2.1.2017 के द्वारा ला दिया गया है। मन्दिर अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 36 दिनांक 15.1.2017 के द्वारा सूचित किया है कि सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी ना0 ज्वालामुखी के माध्यम से कार्योत्तर स्वीकृति लेने हेतु मुख्य आयुक्त मन्दिर को मामला भेज दिया गया है। अतः मुख्य आयुक्त (मन्दिर) से कार्योत्तर स्वीकृति के उपरान्त इस विभाग को भी तदानुसार अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**करूणामूलक आधार पर नियुक्त व्यक्ति का नाम**	**कार्यग्रहण तिथि**	**टिप्पणी**
1	श्री देव राज सुपुत्र स्वर्गीय श्री निक्का राम	10.7.2014	
2	श्री सुमित शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री शान्ति स्वरूप	9.7.2014	
3	श्री हरीश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम चन्द	10.7.2014	
4	श्री अतुल कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री विपिन कुमार	10.7.2014	
5	श्री राजू राम सुपुत्र स्वर्गीय श्री ज्ञान चन्द	1.1.2015	
6	श्री राहुल शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुनील कुमार शर्मा	28.3.2015	
7	श्री अभिनव शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री कुलदीप कुमार	27.3.2015	
8	श्री राहुल बासुदेवा सुपुत्र स्वर्गीय श्री राजन बासुदेवा	28.1.2016	आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या 1052–53 दिनांक 23.11.15 तथा मन्दिर न्यास के मन्दिर अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की उपलब्ध करवाई गई सूची के दृष्टिगत

27 जमा कार्य (Deposit work) करवाने के लिए भुगतान की गई ₹11.43 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारेः–

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी द्वारा निम्न विवरणानुसार जमा कार्य (Depositwork) करवाने के लिए ₹1143210 का भुगतान किया गया जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाए जाएं।

वा0सं0	मास	विभाग का नाम	उद्देश्य	भुगतान राशि
22	12/15	सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल–1 ज्वालामुखी	नया ट्रांसफार्म लगवाने पर व्यय	1143210

28 हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम से क्रय की गई दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाउचर संख्या 374 माह 10/2014 के द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से कैश मैमों संख्या 140901606 दिनांक 24.9.2014 के अन्तर्गत ₹11707 की दवाईयों का क्रय किया गया। इन दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन दवाईयों को जारी करने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश भी पारित नहीं किए गए थे। अतः वाँछित कार्रवाई अब करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से बिक्री कर तथा लेबर सैस ₹4.30 लाख की वसूली न करनाः–

अवर सचिव (इ एण्ड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EXN-F(5)-1/2010 Loose दिनांक 13.8.2012 के अनुसार श्रेणी "सी" तथा "डी" संविदाकारों तथा पत्र संख्या EXN 12-3/2005-54-EXN-Tax-Part-20746-65 दिनांक 6.7.2015 के अनुसार श्रेणी "ए" तथा "बी" संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की वसूली 3% की दर निर्धारित की गई है परन्तु मन्दिर न्यास में संविदाकारों के निर्माण बिलों से 2% की दर से बिक्री कर की वसूली की गई जिसके कारण 1% की (3–2) दर से कम करने के कारण बिक्री कर ₹177151 की वसूली कम की गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार Building other onst works (आई इ एंड सी एस) एक्ट 1996 के अनुसार लेबर सैस की वसूली संविदाकारों के बिलों से 1% निर्धारित की गई है परन्तु मन्दिर न्यास ज्वालामुखी में संविदाकारों के निर्माण बिलों से निर्धारित दर पर लेबर सैस

₹252538 की वसूली नहीं की गई थी। अतः निम्नानुसार लेबर सैस तथा बिक्री कर ₹429689 की वसूली **(परिशिष्ट ढ)** करने के उपरान्त सरकारी कोष/सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(1)	बिक्री कर	177151
(2)	लेबर सैस	252538
	योग	**429689**

30 **कार्य का नामः– C/O Sanskrit Mahavidyalya Temple Sh. Jawalamukhi**

संविदाकार का नामः– M/S subet Const. Co. PVT. Ltd.

आबंटन पत्र संख्याः– Const. 1/2014 Jwa-Maa (Temple) Sanskrit College 425-437 दिनांक 4.3.2014

मापन पुस्तिका संख्याः– 47 तथा 48

बिल प्रथम चलत बिल से चतुर्थ एवं अन्तिम बिल

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) निर्माण कार्य की अनुमति लागत ₹9264129 है परन्तु निर्माण कार्य को करवाने के लिए सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(ii) आबंटन पत्र संख्या Cont.1/2014 Jwa-Maa (Temple)-Sanskrit College 429-437 दिनांक 4.3.2014 के द्वारा निर्माण कार्य का आबंटन ₹11804205 में किया गया परन्तु जाँच में पाया गया कि चतुर्थ एवं अन्तिम बिल तक संविदाकार को ₹16717712 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्य लागत में ₹4913507 का विचलन है जिसका सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाकर कृत अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

(iii) संविदाकार की निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार से निम्न अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन करवाकर ₹700471 का भुगतान बिना सक्षम अधकारी के अनुमोदन से किया गया। अतः इन दरों का अनुमोदन करवाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

मद सं0	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
24	P/L CC 1:3:6	176.77 m3	3000	530310
48	P/L 50 mm thick flooring in 1:2:4	101.46m3	220	22321
49	P/L Poly carbonate transparent sheets	12m2	1500	18000
50	P/F in position collapsible gate shutters with vertical channels	32.46m2	4000	129840
			योग	**₹700471**

31 वा0संख्या 11 मास 6/2015 ₹227132

निर्माण कार्य का नामः– P/L agumentation/replacing of damaged chocked water supply line from tank to bus stand via temple road Shree Jawalamukhi

संविदाकार का नामः– M/S Ambur Dutt V & PO Jawalamukhi Distt. Kangra

मापन पुस्तिकाएवं पृष्ठ संख्याः– 45 पृष्ठ 97 से 99

बिलः– प्रथम एवं अन्तिम

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) निर्माण कार्य की अनुमानित लागत ₹372644 थी परन्तु निर्माण कार्य को न तो विज्ञापन दिया गया और न ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) मद संख्या (1) "P/L exacavation in foundation & trenches in all kind of soils" की मात्रा 87.38 m3 निष्पादित की गई निविदानुसार संविदाकार को ₹248 प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किया जाना था परन्तु इस मद का ₹250 प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें ₹176 (87.38x2) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 26962 दिनांक 17.1.2017 के द्वारा कर ली गई है।

(iii) निर्माण कार्य की कुल लागत ₹247111 पर संविदाकार से बिक्री कर 3**%** की अपेक्षा 2**%** की दर से कटौती करने के फलस्वरूप ₹247 बिक्री कर की कटौती नहीं की गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

(iv) संविदाकार के निर्माण बिलों से 1**%** की दर से ₹2471 लेबर सैस की वसूली नहीं की गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

32 निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करना व विभागीय न्यायोतिचतता तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की है व न ही किसी भी कार्य की विभागीय न्यायोचितता तैयार की है। नियमानुसार किसी भी कार्य को करने स पूर्व उस कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी अपेक्षित थी। निविदा आमन्त्रित करने से पूर्व कार्य की विभागीय न्यायोचितता तैयार करनी भी अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो कार्य निष्पादित करवाया जाना है वह तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप है तथा कार्य न्यायोचित दरों (Reasonable & Justified rate) पर करवाया गया है। मन्दिर न्यास के

कनिष्ठ अभियन्ता के पास ₹3 लाख तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियाँ विहित है तथा ₹3 लाख से अधिक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु मन्दिर न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता सक्षम नहीं है। अतः उक्त राशि से अधिक राशि के कार्यों में सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने व किसी भी कार्य की वित्तीय न्यायोचितता तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान करवाए गए समस्त निर्माण/मुरम्मत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए व कार्यों की विभागीय न्यायोचिततता तैयार करनी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि करवाए गए कार्य निर्धारित तकनीकी माप दण्डों के अनुरूप हैं व न्यायोचित दरों पर ही करवाए गए है। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

33 राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी को ₹90 लाख प्रदान करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि आयुक्त मन्दिर के आदेशानुसार अवधि 1/2014 से 12/2015 तक राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी को ₹90 लाख प्रदान किए गए, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	**मास**	**राशि**
21	2/2014	1000000
39	4/2014	1000000
1	7/2014	1000000
17	9/2014	1000000
35	12/2014	1000000
8	3/2015	1000000
10	6/2015	1000000
4	9/2015	1000000
36	10/2015	1000000
	योग	**₹9000000**

यह राशि अनुदान के रूप में दी गई है अथवा आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मन्दिर न्यास द्वारा नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित संस्था से उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त नहीं किए गए उन्हें प्राप्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

34 जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या–13 दिनांक 6.6.15 को अमित जनरल स्टोर ज्वालामुखी से दिनांक 7.5.2015 से 31.5.2015 तक विभिन्न तिथियों को जूस व कोल्ड ड्रिंक्स क्रय करने के रूप में ₹4300 का भुगतान किया गया है। उक्त बिल वाउचर की जाँच करने

पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों को क्रय किए गए जूस की मन्दिर अधिकारी द्वारा मांग नहीं की गई है।

क्र0सं0	**दिनांक**	**सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**मूल्य**
1	20.5.15	जूस	3	100	300
2	21.5.15	जूस	7	100	700
3	31.5.15	जूस	1	100	100
				योग	**1100**

अतः मन्दिर अधिकारी के आपूर्ति आदेश के बिना उक्त समाान को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

35 व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत माह 6/2015 के दौरान स्थाई एवं अस्थाई सामान का क्रय किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	**वा0सं0/दि0**	**फर्म का नाम एवं पता**	**सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**मूल्य**
1	4/5.6.15	एस0एल0 इलैक्ट्रानिक्स कम्पनी, चम्बाघाट जिला सोलन (हि0प्र0)	आई0पी0 बुलेट कैमरा	1	19381	19381
					वैट 5%	**969**
					योग	**20350**
2	7 (iv)/6.6.15	प्रिंस स्टूडियों मन्दिर रोड ज्वालामुखी जिला कांगड़ा (हि0.प्र0)	फोटो माता (10x12)	5	150	750
3	7 (V)/6.6.15	प्रिंस स्टूडियों मन्दिर रोड ज्वालामुखी जिला कांगड़ा (हि0.प्र0	फोटो माता (16x20)	5	550	2750
		क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग				**₹23850**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय/वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) पर उल्लेखित क्रय दर्शाए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने की प्रविष्टियाँ मौजूद नहीं है। अतः वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या (1) पर उल्लेखित क्रय दर्शाए ग्रए आई0पी0 बुलेट कैमरा को क्रय करने से पूर्व निर्धारित/आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण नहीं की गई है। अतः क्रय से पूर्व निर्धारित/आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण कर ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या–30 दिनांक 15.10.2014 को अश्विन नवरात्रों के दौरान एस0एच0ओ0 पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी की गाड़ी नम्बर एच0पी0–6–3418 में निम्नविवरणानुसार दिनांक 23.9.2014 से 1.10.2014 तक 170 लीटर पैट्रोल के रूप में ₹10000 का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	पैट्रोल की मात्रा	दर	मूल्य
1	33209	23.9.14	45 लीटर	58.90	2650.50
2	33241	27.9.14	45 लीटर	58.90	2650.50
3	33285	29.9.14	43 लीटर	58.90	2532.70
4	33349	1.10.14	37 लीटर	58.90	2179.30
			170 लीटर		10013.30
				भुगतान	**10000**

लेकिन उक्त वाहन की लॉग बुक अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। लॉग बुक के अभाव में क्रय दर्शाए गए पैट्रोल की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः वांछित लॉग बुक आगामी अंकेक्षण मे सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

37 भण्डार रजिस्टर के रख रखाव बारेः–

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी की भण्डार रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1/2014 से 12/2015 के दौरान क्रय की गई अथवा चढ़ावे के रूप में प्राप्त अनेक मदों का इन्द्राज अलग–अलग नए पृष्ठों पर दर्ज किया जा रहा है, जिस कारण किसी मद की कुल शेष मात्रा को किसी एक कार्य दिवस पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि एक ही प्रकृति की मदों को स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाकर, प्रत्येक मद की कुल मात्रा की गणना की जाए तथा शेष मात्रा को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

38 मूर्ति रजिस्टर तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास ज्वालामुखी द्वारा मूर्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान नियम 1984 के नियम 6 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। मूर्ति अभिलेख का रख रखाव करना मन्दिर न्यास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतः

प्राथमिकता के आधार पर अभिलेख तैयार किए जाएं तथा इन अभिलेखों को सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत की जाए।

39 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

40 **निष्कर्षः—** लेखों के रखरखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(11)(14)188/96खण्ड—8—1972—1975 दिनांक :03.04.2017, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला एवं आयुक्त (मन्दिर) जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 7.3.1987 से 31.12.95

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत	(₹2608.82 रोकड़ वही के योग में कम दर्शाना व रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने बारे)
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	(₹8877011/–का बारीदारों को भोग की राशि से अनाधिकृत भुगतान)
3	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	(बारीदारों को ₹37180/–का अधिक भुगतान)
4	पैरा–5 (क) (3)	अनिर्णीत	(धरातल में मिटटी की खुदाई बारे एवं ₹6480/–अधिक भुगतान बारे)
5	पैरा–5 (क) (4) (1)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदो की स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
6	पैरा–5 (क) (5)	अनिर्णीत	(बिल मद संख्या 6 स्टोन फिलिंग के रूप में ₹114658.23 अधिक भुगतान बारे)
7	पैरा–5 (क) (6)	अनिर्णीत	(मद संख्या 7 स्टील के रूप में ₹148100/– अधिक भुगतान बारे)
8	पैरा–5 (क) (17)	अनिर्णीत	(₹19896/–की आयकर की कम कटौती बारे)
9	पैरा–5 (ख) (3)	अनिर्णीत	(₹576/–की कम कटौती बारे)
10	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	(अनुबन्ध की धारा 10–सी के अन्तर्गत ठेकेदार मैसर्ज विनय कुमार, राकेश कुमार को ₹93230/–का अधिक भुगतान करने बारे)
11	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	(मनोदीप सत्संग भवन के निर्माण कार्य में पाई गई गम्भीर अनियिमितताओं बारे)
12	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	(₹14491/–कम कटौती के कारण संविदाकार श्री राकेश कुमार बंटा को अधिक भुगतान)
13	पैरा–5 (घ) (5)	अनिर्णीत	(₹132.60 का अधिक भुगतान)

14	पैरा–5 (घ) (6)	अनिर्णीत	(₹837/–की वसूली न करने बारे)
15	पैरा–5 (ङ) (2)	अनिर्णीत	(₹4699.50 की कम कटौती के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना)
16	पैरा–5 (च) (1)	अनिर्णीत	(₹8890.81 का अधिक भुगतान)
17	पैरा–5 (च) (2)	अनिर्णीत	(₹571.85 का अधिक भुगतान)
18	पैरा–5 (ज) (1)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खरीद में पाई गई अनियमितताओ बारे)
19	पैरा–5 (ज) (3)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर गत वर्ष की तुलना में उच्च दरों पर क्रय करना)
20	पैरा–5 (ज) (4)	अनिर्णीत	(₹380/–का टोल टैक्स के रूप में ठेकेदार को गलत भुगतान)
21	पैरा–5 (ज) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में संगमरमर पत्थर की 9.90 वर्ग फुट मात्रा कम दर्शाना)
22	पैरा–5 (ज) (6)	अनिर्णीत	(संगमरमर पत्थर की खपत अत्याधिक दर्शाना)
23	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत	(₹5039/–का अधिक भुगतान करने बारे)
24	पैरा–5 (ड)	अनिर्णीत	(₹1039/–का संविदाकार श्री सतीश कुमार को अधिक भुगतान करने बारे)
25	पैरा–5 (ढ़)	अनिर्णीत	(आयकर, सरचार्ज तथा बिक्रीकर की कम कटौती करके संविदाकारों को ₹93377/–का अधिक भुगतान करना)
26	पैरा–5 (ण)	अनिर्णीत	(स्टॉक अकाउंट (निर्माण) व स्टॉक अकाउंट (सामान्य) तैयार न करने बारे)
27	पैरा–5 (ण) (1)	अनिर्णीत	(79 सीमेन्ट बैग का दुर्विनियोजन)
28	पैरा–5 (ण) (2)	अनिर्णीत	(डिसटैम्पर का संदिग्ध दुर्विनियोजन)
29	पैरा–5 (ण) (3)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 210 में 600 ईटें कम दर्शाने बारे)
30	पैरा–5 (ण) (4)	अनिर्णीत	(रसीद संख्या 1226 दिनांक 29.8.93 में एक बोरी सीमेन्ट को योगफल में न दर्शाना)
31	पैरा–5 (ण) (5)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 5 पृष्ठ 25 का वास्तविक तथ्यों के

			आधार पर अभिलेख तैयार न करने बारे)
32	पैरा–5 (ण) (6)	अनिर्णीत	(चारकोल अकाउंट की ₹1237/–की वसूली बारे)
33	पैरा–5 (ण) (7)	अनिर्णीत	(खपत योग्य सामान की स्टॉक रजिस्टर में सामान की खपत से सम्बन्धित अनियमितता बारे)
34	पैरा–5 (ण) (8)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 3 पृष्ठ 132 में 21 लीटर पैन्ट का दुर्विनियोजन)
35	पैरा–5 (ण) (9)	अनिर्णीत	(13 सीमेन्ट बोरी की बकाया मात्रा कम दर्शाने बारे)
36	पैरा–5 (ण) (12)	अनिर्णीत	(टी0 एण्ड पी0 रजिस्टर का तैयार न करना)
37	पैरा–5 (ण) (13)	अनिर्णीत	(नॉन कन्जयूमेवल वस्तुओं को स्टॉक से खारिज करने बारे)
38	पैरा–5 (ण) (14)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर नं0 10 पृष्ठ 2 में तालों के अकाऊंट बारे)
39	पैरा–5 (ण) (15)	अनिर्णीत	(स्थानांतरित निर्माण सामग्री की स्थानातरण सम्बन्धी प्रविष्टि न करना)
40	पैरा–5 (ण) (16)	अनिर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 154–55 के अनुसार 20 एम0एम0 डाया सरियों की बकाया मात्रा 1365.23 कि0ग्रा0 का दुर्विनियोजन करने बारे)
41	पैरा–5 (ण) (17)	अनिर्णीत	(यात्री निवास सामग्री के स्टॉक लेखों बारे)
42	पैरा–5 (ण) (18)	अनिर्णीत	(₹37400/–की सीमेन्ट की वसूली बारे)
43	पैरा–5 (ण) (19)	अनिर्णीत	(स्क्रैप का लेखा जोखा न रखने बारे)
44	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	(850 ग्राम 630 मिली ग्राम सोना तथा 18 किलो 283 ग्राम 400 मिली ग्राम चांदी का स्टॉक में लेखा न रखने बारे)
45	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	(गल्लों में चांदी चढ़वाना तथा दरवाजों की मुरम्मत करवाने बारे)
46	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	(चांदी के बर्तन बनवाने बारे)
47	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत	(33 ग्राम नगों की स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाने बारे)
48	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	(मन्दिर में प्राप्त सोने की मात्रा 43 ग्राम 400 मिली ग्राम व चांदी की मात्रा 1 किलो 143 ग्राम 500 मिली ग्राम को स्टॉक में न दर्शाने बारे)

49	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 12.8.89 तक के प्राप्त फटे पुराने नोटो का लेखा प्रस्तुत न करने बारे)
50	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	(दिनांक 31.12.95 तक भदन आय प्राप्ति का अभिलेख तैयार करने बारे)
51	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	(एकत्रित आय को देरी से जमा करवाना व एकत्रित आय की उगाही की तिथि न दर्शाने बारे)
52	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत	(प्रतिभूति राशि का जमा न करने व इसका गबन करने बारे)
53	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	(₹6611/–का कम ब्याज लगाये जाने बारे)
54	पैरा–9 (ब)	अनिर्णीत	(वस्त्रों की निलामी बारे)
55	पैरा–9 (य)	अनिर्णीत	(₹3930/–की वसूली बारे)
56	पैरा–9 (र)	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
57	पैरा–9 (ष)	अनिर्णीत	(श्री उदय कुमार से दुकान किराए कें रूप में ₹1254/–की वसूली बारे)
58	पैरा–9 (ह)	अनिर्णीत	(दुकान किराए के रूप में ₹4824/–की वसूली बारे)
59	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों की नियुक्ति बारे)
60	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	(सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास किराये तथा बिजली के बिलों की वसूली न करने बारे)
61	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(₹27000/–का मन्दिर न्यास निधि से संदिग्ध गबन)
62	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹1000/–का श्री आर0एस0 पठानिया को अनियमित भुगतान)
63	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	(अग्रिम ₹22225/– को व्यय बिलों, टिकटों व रसीदों के बिना समायोजित करना)
64	पैरा–11 (छ) (2)	अनिर्णीत	(किए गए भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करने बारे)
65	पैरा–11 (ज) (1)	अनिर्णीत	(₹1024.38 का रोकड़ वही में इन्द्राज न करके दुर्विनियोजन करने बारे)
66	पैरा–11 (ज) (2)	अनिर्णीत	(भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करके

			भुगतान किये जाने बारे)
67	पैरा–11 (द)	अनिर्णीत	(₹1094/–का यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान बारे)
68	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	(₹600/– के स्टॉक का दुरूपयोग)
69	पैरा–11 (ल)	अनिर्णीत	(₹500/–विज्ञापन प्रकाशन हेतु भुगतान करने बारे)
70	पैरा–11 (श)	अनिर्णीत	(₹3459/– की मैसर्ज जय दुर्गे ढ़ाबा से वसूली करने बारे)
71	पैरा–11 (ह)	अनिर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि का न किया जाना)
72	पैरा–11 (क्ष)	अनिर्णीत	(सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किए बगैर ही भुगतान किया जाना)
73	पैरा–11 (क्ष) (पफ)	अनिर्णीत	(₹14386/–का अधिक भुगतान)
74	पैरा–11 (क्ष) (फफ)	अनिर्णीत	(₹6421/–का अधिक भुगतान)
75	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाये गई अन्य वस्तुओं का स्टॉक अकाऊंट)
76	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	(₹18267/–की सोडियम लाईटों का नगर पंचायत ज्वाला जी को गलत हस्तांतरण बारे)
77	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(बिजली के सामान का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करने बारे)
78	पैरा–12 (घ)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं द्वारा दान में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज करना)
79	पैरा–12 (ड़)	अनिर्णीत	(श्रद्धालुओं से प्राप्त सामान को स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध करते समय सही खातों में इनकी प्रविष्टियाँ न करना)
80	पैरा–12 (झ)	अनिर्णीत	(नारियल की बिक्री से ₹11425/–कम वसूली बारे)
81	पैरा–12 (त)	अनिर्णीत	(₹1410/–की वसूली बारे)
82	पैरा–12 (थ)	अनिर्णीत	(10 स्टील की थालियों की अनियमित अदायगी)
83	पैरा–12 (द)	अनिर्णीत	(89 गिलास स्टील, 10 थालियां स्टील, 28 कौलियां स्टील, 2 प्लेट स्टील व 3 प्रेशर कुकर का स्टॉक में कम दर्शाया जाना)

84	पैरा–12 (ध)	अनिर्णीत	(101 किलो ग्राम पीतल की घंटियों का दुर्विनियोंजन)
85	पैरा–12 (न)	अनिर्णीत	(स्टॉक को गलत रूप से कम करके दिखाना)
86	पैरा–12 (प)	अनिर्णीत	(बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण किए पुराने वर्तनों को बदलना)
87	पैरा–12 (फ)	अनिर्णीत	(अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा आठ चारपाईयां कम वापिस करने बारे)
88	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	(पशुधन लेखा बारे)
89	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	(अवधि 7.3.87 से 17.11.87 तक का पशुधन स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना)
90	पैरा–13 (ड़)	अनिर्णीत	(दो बकरों की कीमत की वसूली बारे)
91	पैरा–13 (छ)	अनिर्णीत	(दो बकरों को बेचने से प्राप्त आय को रोकड़ वही / डे बुक में इन्द्राज न करना)
92	पैरा–13 (ज)	अनिर्णीत	(दिनांक 16.4.89 को एक बड़ा बकरा पुलिस विभाग धर्मशाला को दिए जाने बारे)
93	पैरा–13 (झ)	अनिर्णीत	(दिनांक 25.5.89 को पशुधन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर अंतशेष कम दर्शाने बारे)
94	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	(बजट की स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे)
95	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	(बजट में प्रत्येक मद के लिए आय–व्यय का अलग–2 प्रावधान न रखा जाना)
96	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	(वाहन पर व्यय बारे)
97	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	(विज्ञापन पर व्यय बारे)
98	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	(वाहन का बिना स्वीकृति के प्रयोग करने बारे)
99	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन का हिमाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना)
100	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन के अनावश्यक प्रयोग बारे)
101	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(लॉग बुक के पृष्ठ 93 में की गई प्रविष्टि के अनुसार मन्दिर वाहन द्वारा 221 कि0मी0 की यात्रा की वसूली बारे)
102	पैरा–15 (ड़)	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन का अन्य व्यक्तियों / विभागों / संस्थाओं

			द्वारा प्रयोग करने सम्बन्धित यात्रा की वसूली न करना)
103	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत	(सरकारी वाहन में यात्रा का उद्देश्य न दर्शाया जाना)
104	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(दवाईयों का नवरात्रों तथा मेलों के दौरान जनरल हस्पताल ज्वालामुखी द्वारा खरीद करके बिलों का मन्दिर न्यास द्वारा भुगतान किया जाना)
105	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(दवाईयों की बकाया मात्रा को जारी न करने बारे)
106	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी करने बारे)
107	पैरा–16 (ड़ से ञ)	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.99 से 31.12.99			
1	पैरा–9	अनिर्णीत	(सैन्ट्रल पूल में मन्दिर न्यास खाते से भेजी जाने वाली राशि के लेखे वितरण बारे)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(मै0 गुम्मन आर्किटेक्टस फोरम प्रा0लि0 चण्डीगढ़ को ₹13138/–के अधिक भुगतान बारे)
3	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	(कर्मचारियों को मन्दिर के लंगर में खाने की सुविधा के फलस्वरूप लगभग ₹82000/–का अधिक भुगतान करने बारे)
4	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(₹34650/–की वसूली बारे)
5	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत	(आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा से दूरभाष सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति लिए बिना ही मन्दिर अधिकारी के निवास पर दूरभाष की सुविधा प्रदान करने बारे)
6	पैरा–13	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर के अनुमोदन बिना कर्मचारियों की नियुक्ति करने बारे)
7	पैरा–14	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
8	पैरा–19	अनिर्णीत	(श्री ज्वाला जी मन्दिर न्यास में स्थापित सभी मूर्तियों का विवरण तैयार करने बारे)
9	पैरा–20	अनिर्णीत	(मन्दिर वाहन एच0पी0–36–002 द्वारा प्रदेश के बाहर की गई यात्राओं के सम्बन्ध में)

10	पैरा–22	अनिर्णीत	(संविदाकारों को किए गए भुगतानों मे से आयकर अधिभार और बिक्री कर की कटौती न करने बारे)
11	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(सविदाकार को 2.23 घनमीटर ईंटों को देने बारे)
(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000			
1	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	(प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही के शेष का बैंक की पास बुक के शेष के साथ मिलान किये जाने बारे)
2	पैरा–5	अनिर्णीत	(₹15003/–का संम्भावित दुर्विनियोजन/गबन)
3	पैरा–6	अनिर्णीत	(भण्डार में दान स्वरूप प्राप्त हजारों रूपये की वस्तुओं का दुरूपयोग)
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(लंगर उपभोग हेतु भण्डार से जारी की गई वस्तुओं का दुरूपयोग)
5	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	(कांगड़ा मन्दिर न्यास कर्मचारी सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2000 को सरकार से अनुमोदित करवाने बारे)
6	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	(कैश अथवा सम्पत्ति इत्यादि के कार्यों पर नियुक्ति कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि लेने बारे)
7	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा मिश्रा की मालिन के पद पर नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने बारे)
8	पैरा–11	अनिर्णीत	(पंजाब नैशनल बैंक की बहु लाभकारी योजना में गलत ढ़ंग से विनिवेश करने पर लगभग ₹1100 की हानि बारे)
9	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	(श्री रमेश चन्द ठेकेदार द्वारा स्टॉफ क्वार्टर के पीछे डंगा लगाने हेतु 7 बोरी सीमेन्ट के दुरूपयोग बारे)
10	पैरा–19 (ग)	अनिर्णीत	(सरकारी भूमि पर बिना किसी अनुबन्ध के लगभग 6 लाख रूपये की लागत से कार पार्किंग का निर्माण बारे)
11	पैरा–19 (घ)	अनिर्णीत	(₹41170/–का ठेकेदार श्री रमेश बन्टा को

			अनुपयोगी व्यय)
12	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	(₹16450/–का श्री रमेश चन्द ठेकेदार द्वारा सम्भावित दुरूपयोग)
13	पैरा–20	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों की ₹3932/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान)
14	पैरा–21	अनिर्णीत	(₹1000/–के यात्रा व्यय का भुगतान करने बारे)
15	पैरा–22	अनिर्णीत	(गैस के बिलों के भुगतान में ₹417/–का आकाश गैस एजैन्सी देहरा को अधिक भुगतान बारे)
16	पैरा–23	अनिर्णीत	(विभिन्न क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक में न लिया जाना)
17	पैरा–24	अनिर्णीत	(दुकान किराया लेखे बारे)
18	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(5 ग्राम सोना व 100 ग्राम चांदी के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–26	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय को मन्दिर से जारी किए गए सामान बारे)
20	पैरा–27	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाये गये अतिरिक्त सफाई कर्मचारी व सामान का भुगतान मन्दिर द्वारा करने बारे)
21	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	(10 नए सूचना पट्ट की खरीद व लिखाई हेतु भुगतान की गई ₹2562/–बारे)
22	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर में कैमरे लगाने हेतु ₹36575/–के भुगतान बारे)
23	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(बिना निविदा के ₹14000/–के फर्नीचर की खरीद बारे)
24	पैरा–29 (ङ)	अनिर्णीत	(₹3575/–डीजल बिल के भुगतान बारे)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2001 से 31.12.2001			
1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(कैश बुक का अनुचित/त्रुटिपूर्ण रखरखाव बारे)
2	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका पूर्ण रूप से तैयार न करने व कोई भी सेवा पंजिका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)
3	पैरा–10	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन व दैनिक वेतन पर रखे बेलदार/सेवादारों को ₹40/–प्रतिमाह की दर से चिकित्सा प्रतिभूति भत्ते कुल ₹4400/–का अनियमित भुगतान करने बारे)
4	पैरा–17	अनिर्णीत	(बिजली के बिलों के रूप में ₹11292/–का विद्युत विभाग को अधिक भुगतान करने बारे)
5	पैरा–18	अनिर्णीत	(₹985/–का श्री उपेन्द्र सिंह पेन्टर को अधिक भुगतान करने बारे)
6	पैरा–19	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में रंग रोगन हेतु मन्दिर खाते से कुल ₹11958/–के व्यय करने बारे)
7	पैरा–20	अनिर्णीत	(अष्टभुजा मन्दिर के पास पार्किंग स्थल व बाथरूम का निर्माण करने बारे)
8	पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा बुलाए गए अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान करने बारे)
9	पैरा–22	अनिर्णीत	(दूरभाष पर ₹44192/–का अत्याधिक व्यय करने बारे)
10	पैरा–24	अनिर्णीत	(अग्रिम धन ₹2001/–बारे)
11	पैरा–25	अनिर्णीत	(निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करने के कारण ₹450/–का भुगतान करने बारे)
12	पैरा–27	अनिर्णीत	(बजट में बिना प्रावधान से किए गए विज्ञापन पर व्यय करने बारे)

13	पैरा–28	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बिना ही केन्द्रीय पूल धर्मशाला को ₹4,00,000/–भेजने बारे)
14	पैरा–29	अनिर्णीत	(न्यास वाहन से यात्रा करने बारे)
15	पैरा–30	अनिर्णीत	(₹3862/–के 12 गैस सिलैण्डरों के दुरूपयोग बारे)
16	पैरा–31 (क)	अनिर्णीत	(₹1350/–के दुरूपयोग बारे)
17	पैरा–31 (ख)	अनिर्णीत	(कांगड़ा होल सेल को0 कन्जयूमर एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि0 से कय किए गए राशन बारे)
18	पैरा–31 (ग)	अनिर्णीत	(लंगर में खाद्य सामग्री के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–32	अनिर्णीत	(श्री कपिल देव सूद (एडवोकेट) को किए गए ₹19000/– के भुगतान बारे)
(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2002 से 31.12.2002			
1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण–पंजाब नैशनल बैंक बारे)
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	(बैंक समाधान विवरण–सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बारे)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	(चढ़ावे में प्राप्त विदेशी मुद्रा के रखरखाव बारे)
4	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(सोने में 393 ग्राम अन्तर बारे अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत तथा पैरा वर्तमान अंकेक्षण में तथ्यों सहित पुनः प्रारूपित
5	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(2 किलो 425 ग्राम 259 मिली ग्राम सोने में खोट दर्शाने बारे – अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) भाग–एक दिनाँक 09.09.14 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–6 (घ) (1)	अनिर्णीत	(भेंट स्वरूप प्रदान किए गए चांदी के सिक्कों का वितरण मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे)

7	पैरा–6 (घ) (2)	अनिर्णीत	(विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चांदी जारी करके स्टॉक रजिस्टर से खारिज न करने बारे)
8	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा नियम के सन्दर्भ में)
9	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	(स्थाई वेतन पर रखे गए कर्मचारियों को किया जा रहा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का गलत भुगतान)
10	पैरा–7 (च) (3)	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री को मुख्य मन्दिर में हवन करने के एवज में ₹11/–की दैनिक दक्षिणा/मानदेय का भुगतान करने बारे)
11	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी की मालिन के पद पर नियुक्ति बारे)
12	पैरा–7 (छ) (2)	अनिर्णीत	(श्रीमति पुष्पा देवी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹10080/–का अधिक भुगतान)
13	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	(एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने से पूर्व ही वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रदान किया जाना)
14	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	(श्री भवनीश कुमार की दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति बारे)
15	पैरा–7 (ट)	अनिर्णीत	(कांगड़ा शैली के चित्रकार श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा तैयार किए गए चित्रों का कोई अभिलेख व चित्र न्यास कार्यालय में उपलब्ध न होने बारे)
16	पैरा–7 (ठ) (2)	अनिर्णीत	(श्री कुलदीप कुमार सुपुत्र श्री चन्द (सहायक पुजारी) की नियुक्ति में दिए गए पुलिस प्रमाण पत्र बारे)
17	पैरा–9	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख 44 हजार 800/–का अनुचित भुगतान करना)
18	पैरा–10	अनिर्णीत	(जे.पी. ईण्डस्ट्री द्वारा बनाई गई माता जी की रसोई

			के उदघाटन के अवसर पर कुल ₹106999/–की मूर्तियों इत्यादि का उपहार के रूप में वितरण)
19	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा द्वारा आयुक्त (मन्दिर) एवं जिलाधीश कांगड़ा की विहित शक्तियों के उपयोग बारे)
20	पैरा–10 (ख) (1)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 1 से 3 तक वर्णित कुल ₹86889/–की चांदी की मूर्तियों के वितरण बारे)
21	पैरा–10 (ख) (2)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का वितरण आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति के बिना करने बारे)
22	पैरा–10 (ख) (3)	अनिर्णीत	(चांदी की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति आदेश दिए करने तथा अधिकारी/समिति द्वारा मूर्तियों का वजन सत्यापित न करने बारे)
23	पैरा–10 (ख) (4)	अनिर्णीत	(श्री विनोद कुमार सेवादार को मूर्तियॉ लाने के लिए चण्डीगढ़ से ज्वालामुखी तक किया गया ₹2000/–का भुगतान)
24	पैरा–10(ख)(4)(क)	अनिर्णीत	(मूर्तियों की खरीद दिल्ली से दर्शाए जाने बारे)
25	पैरा–10(ख)(4)(ख)	अनिर्णीत	(मूर्तियों को टैक्सी द्वारा दिनांक 12.4.02 को लेकर आना जबकि विक्रय/खरीद बिल पर दिनांक 13.4.02 को दर्शाया जाना)
26	पैरा–10 (ख) 4 (ग)	अनिर्णीत	(उच्च व जिम्मेवार अधिकारी द्वारा मूर्तियां न मंगवा कर सेवादार से मूर्तियां मंगवाने बारे)
27	पैरा–10 (ख) (5)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के पास मौजूद चांदी से मूर्तियों न बनवाकर नए चांदी की खरीद बारे)
28	पैरा–10(ख)(5)(क)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 4, 5, 6, 7 पर वर्णित ₹16180/–की मूर्तियों का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए व बिना आपूर्ति पत्र जारी किए करना व सामान की स्टॉक प्रविष्टि न करना)

29	पैरा–10(ख)(5)(ख)	अनिर्णीत	(क्र0सं0 8 पर वर्णित 50 फोटो ₹30/–प्रति फोटो की दर क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित न करना व स्टॉक प्रविष्टि भी न करना व ₹1350/– के किए गए भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योंतर स्वीकृति प्राप्त न करने बारे)
30	पैरा–10 (ख)(5)(ग)	अनिर्णीत	(क्रम संख्या 9 पर वर्णित 9 शालों के वितरण बारे)
31	पैरा–12	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा शिक्षा समिति ज्वालामुखी को दिए गए ₹5,00,000/–के अनुदान/आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में)
32	पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के परिसर में स्थित गौरख डिब्बी मन्दिर को न्यास के अन्तर्गत लाए जाने बारे)
33	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0कपूर को प्रतिभूति के तौर पर ₹2 लाख 25 हजार की बैंक गारन्टी प्रदान करने बारे)
34	पैरा–15 (घ)	अनिर्णीत	(श्री डी0एन0 कपूर द्वारा यात्री निवास के अन्य खाली भाग के नाजायज ढंग से प्रयोग करने के सन्दर्भ में)
35	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(पुजारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम की प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने व पुजारियों के लिए आयोजित पुनश्चर्या कार्यक्रम के प्रसंग में किए गए व्यय को नियमित करवाने बारे)
36	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(प्रशिक्षण के लिए विद्वानों को पाठ्यक्रम तथा सहायक सामग्री भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध न करवाकर यह सामग्री मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाने बारे)
37	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत	(कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त किए गए व्यय बारे)
38	पैरा–16 (घ)	अनिर्णीत	(शालों के वितरण बारे)
39	पैरा–16 (ङ)	अनिर्णीत	(₹1000/– की कैसेटों के क्रय करने बारे)
40	पैरा–16 (च)	अनिर्णीत	(बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा बिना स्टॉक

			प्रविष्टि किए वीडियो कैसेटों के क्रय बारे)
41	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान करने बारे)
42	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) द्वारा आयुक्त (मन्दिर) के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी मर्जी से किराये की जगह अधिक भुगतान बारे)
43	पैरा–19 (च)	अनिर्णीत	(शहीद योगिन्द्र सिंह गैस सर्विस ज्वालामुखी को ₹2530/–का अधिक भुगतान करना)
44	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	(विद्युत विभाग को बिजली बिलों का अधिक भुगतान करने बारे)
45	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में विद्युत विभाग का नियन्त्रण कनिष्ठ अभियन्ता से करवाने व विद्युत के प्रत्येक भुगतान को सत्यापित करवाने बारे)
46	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	(टेलीफोन बिल का 15 माह के पश्चात भुगतान करने बारे)
47	पैरा–20 (घ)	अनिर्णीत	(टैलीफोन रजिस्टर का निर्माण न करने बारे)
48	पैरा–21	अनिर्णीत	(मेलों के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु 60 कर्मचारियों के आने जाने के किराए की ₹6000/–के सम्बन्ध में टिकटों को अंकेक्षण मे प्रस्तुत न किए जाने बारे)
49	पैरा–24	अनिर्णीत	(श्री नरेन्द्र कुमार को ₹5000/–के भुगतान बारे)
49	पैरा–25 (क)	अनिर्णीत	(₹2,00,000/–को केन्द्रीय पूल में डालने से सम्बन्धित रसीद की प्रति व हिमाचल प्रदेंश सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के गठन के सम्बन्ध में जारी अधिूसचना प्रस्तुत न करने बारे)
50	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के रख–रखाव के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु गठित समिति के चेयरमैन श्री वशमीर सिंह राणा द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय पूल से न करके ज्वालाजी न्यास

			निधि से करने बारे)
51	पैरा–26 (ङ)	अनिर्णीत	(₹2500/–पटकों के भुगतान व पटकों की स्टॉक प्रविष्टि दर्ज न करने बारे)
(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.03 से 31.12.04			
1	पैरा–6	अनिर्णीत	(चांदी के सिक्को के सन्दर्भ में)
2	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	(आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा न्यास के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवानियम के सन्दर्भ में)
3	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास में कार्यरत्त सभी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रथम नियुक्ति की तिथि, पद, वेतन का विवरण रखने बारे)
4	पैरा–15	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त (मन्दिर) एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में न्यास के एक कर्मचारी की नियुक्ति बारे)
5	पैरा–16	अनिर्णीत	(जिला भाषा अधिकारी कार्यालय में न्यास के एक अन्य कर्मचारी श्रीमति आर्दश वाला (क0 सहायक) की नियुक्ति बारे)
6	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	(श्रीमति अंजु शर्मा की नियुक्ति बारे)
7	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	(श्रीमति आर्दश बाला (लिपिक) की नियुक्ति बारे)
8	पैरा–17	अनिर्णीत	(3.8.2003 के पश्चात बारीदारों को किए गए कुल ₹1,04,90,004/–के अनियमित भुगतान बारे)
9	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	(पूजा अर्चना हेतु 20 प्रतिशत राशि काटे जाने बारे)
10	पैरा–18	अनिर्णीत	(ज्वालामुखी मन्दिर के समीप शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण कार्य के दौरान श्रीमति पुष्पा देवी के मकान को हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान मे ₹6 लाख 17 हजार का अधिक अनियमित भुंगतान करने बारे)
11	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा पुष्पा देवी व उसके पुत्रों को दिया जा रहा लाखों रूपये की सम्पत्ति का अनुचित लाभ)

12	पैरा–20	अनिर्णीत	(₹4496259 / –की निर्माण सामग्री का बिना किसी माप के प्रयोग में लाया जाना)
13	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा अपने पुराने 5 किराएदारों को किया गया कुल ₹5,71,200 / –का अनुचित भुगतान)
14	पैरा–23 (क)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के अधिकारियों / कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विद्युत निगम को किया गया ₹71,000 / –का अनियमित भुगतान)
15	पैरा–25	अनिर्णीत	(वर्ष 2003 व वर्ष 2004 में विभिन्न नवरात्रों के दौरान रखे गए गृह रक्षकों को ₹59,999 / –का अधिक भुगतान)
16	पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए ₹2545 / – के भुगतान बारे)
17	पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को किए गए यात्रा भत्ते के भुगतान बारे)
18	पैरा–25 (ख)	अनिर्णीत	(₹8894 / –की गृह रक्षकों से वसूली बारे)
19	पैरा–25 (घ)	अनिर्णीत	(गृह रक्षकों को ₹18085 / –के गलत भुगतान बारे)
20	पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा श्री डी0एन0 कपूर पट्टाधारी यात्री निवास मातृ छाया को दिए गए लाखों रूपये के अनुचित लाभ बारे तथा ₹8,68,300 / –की वसूली न करने बारे)
21	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹32100 / –का अस्थाई दुरूपयोग)
22	पैरा–28	अनिर्णीत	(सहायक आयुक्त मन्दिर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा के कार्यालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति पर ₹17238 / –का भुगतान करने बारे)
23	पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री जितेन्द्र नाथ व विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को किया गया क्रमशः ₹18480 / –व ₹16896 / –अर्थात

			कुल ₹35376/–का अधिक भुगतान)
24	पैरा–39 (i)	अनिर्णीत	(बिना चर्चा के कार्य आबंटन बारे)
25	पैरा–39 (ii)	अनिर्णीत	(समाचार पत्र में विज्ञापन अनुसार धरोहर राशि केवल नकद जमा करवाने की एवज में धरोहर राशि)
26	पैरा–39 (iii)	अनिर्णीत	(राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करवाने बारे निर्माण कार्य मानदण्डों से निम्न कोटी का किया जाने बारे)
27	पैरा–40 (3)	अनिर्णीत	(श्री संजल शर्मा ठेकेदार को ₹1784.79 का अधिक भुगतान)
28	पैरा–42	अनिर्णीत	(न्यास की चल व अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन न करवाने बारे)
29	पैरा–46	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर आमन्त्रित किए व बाजारीय प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना कार्य का आबंटन करने बारे)
30	पैरा–48 (3)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास वाहन द्वारा यात्रा अन्य कार्यों हेतु करने बारे)
31	पैरा–52	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा ज्वालाजी शिक्षा समिति को दी गई ₹1 करोड़ 20 लाख के सम्बन्ध में)
32	पैरा–53	अनिर्णीत	(सुलभ इन्टरनेशनल को ₹5000/–प्रति माह रखरखाव के रूप में दिए जाने के सन्दर्भ में)
33	पैरा–54	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को बोंनस के रूप मे ंकिया गया अनियमित भुगतान कुल ₹5206.00/– बारे)
34	पैरा–56 (ख)	अनिर्णीत	(दान हेतु काटी गई रसीद में दान की राशि का कार्बन कॉपी में नीले पैन से भरा जाना)
35	पैरा–58	अनिर्णीत	(अष्टभुजा सत्संग भवन व भैरों मन्दिर से वर्ष 2003 व वर्ष 2004 के दौरान कोई भी आय की प्राप्ति न दर्शाना)
36	पैरा–59 (1)	अनिर्णीत	(श्री राज कुमार सुपुत्र श्री मिलखी राम को किए गए ₹13200/–के भुगतान बारे)

37	पैरा–59 (2)	अनिर्णीत	(₹1188/–की कम्पयूटर की काली स्याही खरीदने हेतु)
38	पैरा–59 (3)	अनिर्णीत	(₹5100/–होम गार्डों से वसूली बारे)
39	पैरा–59 (6)	अनिर्णीत	(टेलीविजन के क्रय पर खर्च की गई राशि बारे)
(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.05 से 31.12.05			
1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	(₹660/–का अधिक भुगतान)
2	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	(विद्युत प्रभारों के भुगतान बारे)
3	पैरा–9	अनिर्णीत	(अंकेक्षण द्वारा विभिन्न अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न करवाए जाने के सन्दर्भ में)
(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.06 से 31.12.07			
1	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹362050/–का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे)
2	पैरा–16	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में ₹70555/–का अनियमित एवं गलत भुगतान करने बारे)
3	पैरा–17	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 में लगने वाले नवरात्र मेलों के दौरान अतिरिक्त कार्य न करने के बावजूद किया गया ₹199920 का गलत भुगतान)
4	पैरा–18 (क से त)	अंशतः निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹133766 की वसूली शेष)
5	पैरा–20 (1 से 3)	अनिर्णीत	(नवरात्रों के दौरान रखे गए अतिरिक्त सफाई सेवकों को ₹55080/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
6	पैरा–21	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया को पट्टे पर न देने के कारण आय स्वरूप हुई ₹723030/– की हानि बारे)
7	पैरा–22	अनिर्णीत	(यात्री निवास मातृछाया की गत वर्षों की किराये के रूप में ₹558860/–वसूलने हेतु शेष)
8	पैरा–23	अनिर्णीत	(वर्ष 2005, वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में नये निर्माण

			कार्यों पर कोई भी व्यय न करना)
9	पैरा–24	अनिर्णीत	(शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण में निर्माण सामग्री की ₹20,60,294 / –के दुरूपयोग बारे)
10	पैरा–25	अनिर्णीत	(₹4515 / –की संविदाकार से वसूली बारे)
11	पैरा–26	अनिर्णीत	(₹1959 / –की संविदाकार से वसूली बारे)
12	पैरा–27	अनिर्णीत	(₹1903 / –की संविदाकार से वसूली बारे)
13	पैरा–28	अनिर्णीत	(₹12193 / –के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं बारे)
14	पैरा–29	अनिर्णीत	(वर्ष 2006 व वर्ष 2007 में करवाए गए निर्माण कार्यों एवं अन्य कार्यों में मन्दिर न्यास द्वारा पानी व बिजली की आपूर्ति सम्बन्धित संविदाकारों को करने पर भी जल प्रभारों के रूप में चलित एवं अन्तिम संविदाकार के बिलों से कटौती न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई हानि बारे)
15	पैरा–33	अनिर्णीत	(दीपावली के पर्व पर मिठाईयों के वितरण बारे)
16	पैरा–34	अनिर्णीत	(क्रय से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने व बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए बिना किए गए क्रय बारे)
17	पैरा–35	अनिर्णीत	(₹1870 / –की वसूली बारे)
18	पैरा–36	अनिर्णीत	(बारीदारों से ₹3000 / –की वसूली बारे)
19	पैरा–38	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में दिनांक 3.4.06 को सोना व चांदी प्राप्त न होना जबकि सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर मे ंसोना 4 ग्राम 300 मिली ग्राम व चांदी 1 किलो 132 ग्राम दर्शाने बारे)
20	पैरा–41	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली बिलों के रूप में अवधि 17.1.2002 से 12.1.2009 तक की ₹26036 / –का मन्दिर कोष से

			अनियमित एवं गलत भुगतान)
21	पैरा–42 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमती आर्दश बाला को नियमों के विपरीत पदोन्नति बारे)
22	पैरा–42 (2)	अनिर्णीत	(श्रीमती अंजु शर्मा को नियमों के विपरीत पदोन्नति देने बारे)
23	पैरा–44 (1)	अनिर्णीत	(श्रीमति वीना देवी अध्यापक व श्री महिन्द्र सिंह की सेवापंजिकाओं में छुट्टी खाते में से 2 दिन अर्जित व 1 दिन परिवर्तित अवकाश कम करने बारे)
24	पैरा–44 (2)	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली से एक दिन का वेतन काटा जाने बारे व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवापजिकाओं में करने बारे)
25	पैरा–44 (3)	अनिर्णीत	(श्री मनोहरलाल माली की 64 दिन की वेतन की वसूली व बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र असाधारण अवकाश की प्रविष्टि सेवा पंजिका में करने बारे)
26	पैरा–45	अनिर्णीत	(श्री मनोहर लाल माली ₹10000/–की वसूली बारे)
27	पैरा–46	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह विद्युतकार को ₹4333/–का गलत एवं अनियमित भुगतान)
28	पैरा–48	अनिर्णीत	(मन्दिर की गाड़ी के अनावश्यक रखरखाव खर्च को सीमित करने बारे)
29	पैरा–49	अनिर्णीत	(₹4500/–की वसूली बारे)
(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.08 से 31.12.08			
1	पैरा–9	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान बारीदारों को ₹3789555/–का गलत एवं अधिक भुगतान)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹64052/– का अधिक एवं गलत भुगतान)
3	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री अवतार सिंह संविदाकार को गलत तरीके से वापिस की गई प्रतिभूति ₹8000/–बारे)

4	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत	(श्रीमति विमला देवी सफाई कर्मचारी को अर्जित अवकाश भुनाने के एवज में ₹1063/–का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे)
5	पैरा–18	अनिर्णीत	(यात्री निवास में माह 4/08 के दौरान आय हेतु काटी गई रसीद संख्या 9224 से 9258 का अंकेक्षण में न दर्शाया जाना)
6	पैरा–22	अनिर्णीत	(सेवा पंजिकाओ में गलत पदनाम पुजारी सहायक दर्शाने बारे)
7	पैरा–24	अनिर्णीत	(मुख्य आयुक्त मन्दिर की विहित शक्तियों का आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रयोग करने बारे)
8	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
9	पैरा–26	अनिर्णीत	(विभिन्न कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पद भरे जाने बारे)
(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.09 से 31.12.09			
1	पैरा–12	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बिना किए गए ₹559728/–का व्यय करने बारे)
2	पैरा–13	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 में स्वीकृति बजट से ₹2211572/–का अधिक व्यय करने बारे)
3	पैरा–14	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान बारीदारों को ₹3895448 का गलत एवं अधिक भुगतान)
4	पैरा–15	अनिर्णीत	(वर्ष 2009 के दौरान प्रोत्साहन के रूप में न्यास कर्मचारियों को ₹5229/–का अधिक एवं गलत भुगतान)
5	पैरा–21	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी एवं सहायक मन्दिर अधिकारी के निवास में लगे बिजली के मीटर नम्बर एम0डी0आर0 301 के बिजली के बिलों के रूप में अवधि 1.3.09 से 30.11.10 तक ₹34774/– का मन्दिर कोष से

			अनियमित एवं गलत भुंगतान)
6	पैरा–26	अनिर्णीत	(मुख्य मन्दिर गल्ला गणना रजिस्टर में सिक्कों की गणना से ₹990/–अधिक दर्शाने बारे)
7	पैरा–27	अनिर्णीत	(13 दुकानों का किराया अनियमित रूप से कम करने के कारण हो रही प्रति वर्ष ₹31824/–की वित्तीय हानि बारे)
8	पैरा–28	अनिर्णीत	(2 दुकाने अनियमित रूप से गृह रक्षकों व सुरक्षा गार्डो को आबंटित करना व एक दुकान का खाली रखने बारे)
9	पैरा–29	अनिर्णीत	(दोष पूर्ण खुली बोली की प्रक्रिया के कारण किराए का कम निर्धारण)
10	पैरा–30	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी व लेखाकार को दिए जा रहे अनियमित एवं गलत लाभ बारे)
11	पैरा–31	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास लंगर से मन्दिर अधिकारी, लेखाकार व डिग्री कॉलेज हेतु गैस सिलैण्डर की सप्लाई करने बारे)
11	पैरा–32	अनिर्णीत	(श्री सुभाष चन्द सफाई सेवक के लम्बी अवधि तक अवकाश पर रहने के बारे में)
12	पैरा–33	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹4 लाख के बारे)
13	पैरा–34	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को भुगतान की गई ₹5 लाख के बारे)
14	पैरा–35	अनिर्णीत	(श्री बलदेव सिंह लिपिक का पदनाम गलत तरीके से वरिष्ठ क्लर्क दर्शाने बारे)
15	पैरा–37	अंशतः निर्णीत	(दैनिकी भत्ते के रूप में श्री विनोद कुमार सेवादार को ₹245/–अधिक भुगतान व श्री विजय कुमार ड्राफ्ट मैन को ₹518/– का अधिक एवं गलत भुगतान करना श्री विजय कुमार से ₹518/–की वसूली शेष)

16	पैरा–38	अनिर्णीत	(सूद आरा उद्योग होशियारपुर को बेरियर टैक्स व ट्रक भाड़े के रूप में ₹16550/–का गलत भुगतान)
17	पैरा–39	अनिर्णीत	(वालन ढुलाई व उतराई के रूप में लंगर प्रभारी को ₹11659/–का गलत भुगतान)
18	पैरा–40 (क) (i)	अनिर्णीत	(अष्ट भुजा मन्दिर व कीर्तन/सत्संग भवन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित न करने बारे)
19	पैरा–40 (क) (ii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर की रोकड़ वही तैयार न करने बारे)
20	पैरा–40 (क) (iii)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर के बचत खातों में शेष बची राशि को मन्दिर न्यास के बचत खातों में हस्तांतरित न करने बारे)
21	पैरा–40 (क) (iv)	अनिर्णीत	(भैरों मन्दिर व टेहड़ा मन्दिर की आय की गणना प्राधिकृत कमेटी के समक्ष किए जाने बारे)
22	पैरा–40 (क) (v)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे)
23	पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(टेहड़ा मन्दिर की आय में से ₹15466/–का अस्थाई गवन करने व रोकड़ वही का रखरखाव न करने बारे)
(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010			
1	पैरा–9	अनिर्णीत	(वर्ष 2010 के दौरान बारीदारों को ₹5215799/–का अनियमित एवं अधिक भुगतान)
2	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2008 से अनूप कुमार, अनुबन्ध अध्यापक, संस्कृत विद्यालय ज्वालामुखी को वेतन के रूप में ₹60131/– के गलत एवं अधिक भुगतान करने से सम्बन्धित वसूली बारे)
3	पैरा–11	अनिर्णीत	(श्रीमती कामना देवी, सेवादार को वेतन एवं भतों के रूप में गलत भुगतान की गई ₹32628/– की वसूली बारे)
4	पैरा–12	अनिर्णीत	(श्री प्रबल कुमार शास्त्री, संस्कृत विद्यालय की वर्ष

			2010 की वार्षिक वृद्धि न रोकने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए ₹10637/– के गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली बारे)
5	पैरा–13	अनिर्णीत	(श्री हेमन्त कुमार पुजारी सहायक को माह 12/10 देय 1/11 के वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹3014/– की वसूली बारे)
6	पैरा–18	अनिर्णीत	(जनरेटर सैट का क्रय निविदा न भरने वाली फर्म से उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹249321/– की वित्तीय हानि के सन्दर्भ में)
7	पैरा–19	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा लंगर बनाने, परोसने व सफाई व्यवस्था के कार्य का ठेका प्रथम न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को न देकर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाले संविदाकार को देने के फलस्वरूप 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास को हुई ₹376200/– की वित्तीय हानि के बारे)
8	पैरा–20	अनिर्णीत	(लंगर संचालन ठेके पर देने के कारण 2 मुख्य रसोईयों व 2 सहायक रसोईयों की सेवाएं मन्दिर न्यास हेतु अनुपयोगी होने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपयो का अनावश्यक वित्तीय बोझ)
9	पैरा–21	अनिर्णीत	(लगर संचालन के ठेकेदार को 18 माह के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा ₹258246/– का परोक्ष रूप से अनियमित, अनैतिक एवं अप्रत्याशित लाभ प्रदान करना)
10	पैरा–22	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर बुलाए लंगर संचालन के ठेके की अवधि 12 माह तक बढ़ाना)
11	पैरा–23	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई ₹4 लाख रूपये के बारे में)
12	पैरा–24	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज को दी गई ₹20 लाख के बारे में)

13	पैरा–25	अनिर्णीत	(नियमों के विपरीत प्रधानाचार्य ज्वालाजी शिक्षा समिति को ₹3 लाख का ऋण देने व वसूली न करने बारे)
14	पैरा–26	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बिना किए गए ₹1133633/– का व्यय करने बारे)
15	पैरा–27	अनिर्णीत	(वर्ष 2010 में स्वीकृत बजट से ₹892363/– का अधिक व्यय करने बारे)
16	पैरा–30	अनिर्णीत	(सेवा पंजिका में जन्म तिथि में बदलाव करना)
17	पैरा–31	अनिर्णीत	(श्री गगन कुमार, सफाई सेवक की पंजिका में 939 दिन की सेवा अवरोध अवधि की प्रविष्टि न करना)
18	पैरा–32	अनिर्णीत	(लंगर के सामान के दुरूपयोग बारे)
19	पैरा–33	अनिर्णीत	(लंगर में रसीदों से प्राप्त सामान के दुरूपयोग बारे)
20	पैरा–34	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास की मुक्त आवास सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी से मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारे)
21	पैरा–35	अनिर्णीत	(माह 9/10 में पारिश्रमिक व अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹3450/– का गलत भुगतान करने बारे एवं गत वर्षों में भी किए जा रहे उक्त प्रकार के गलत भुगतानों की वसूली बारे)
22	पैरा–36	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी की ₹300/– प्रतिमाह की दर न्यूनतम स्थाई प्रभार को न वसूलने बारे)
23	पैरा–39	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत दों पदो ंके विरूद्ध चार वरिष्ठ सहायकों की तैनाती करने के कारण दो अधिक वरिष्ठ सहायकों के वेतन के रूप में मन्दिर न्यास कोष पर लाखों रूपये का अनियमित वित्तीय बोझ)

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012			
1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	अनिर्णीत	(स्वीकृत बजट से ₹1438935/– का अधिक व्यय करने बारे)
3	पैरा–9	अनिर्णीत	(बजट में प्रावधान के बिना ही किए गए ₹2828579/– के व्यय के बारे)
4	पैरा–10	अनिर्णीत	(वर्ष 2011 के दौरान बारीदारों को ₹5809542/– का अधिक एवं गलत भुगतान)
5	पैरा–11	अनिर्णीत	(श्रीमती बेबी देवी बारीदार को बारीदार के हिस्से के रूप में ₹44348/– का अधिक एवं गलत भुगतान)
6	पैरा–12	अनिर्णीत	(मातृछाया यात्री निवास श्री ज्वालामुखी के ठेकेदार श्री अरूण लाल टण्डन के आश्रितों से लीज की राशि, बिजली के बिलों की राशि तथा कम सामान वापिस दिए जाने से सम्बन्धित कुल ₹636476/– की वसूली न करने बारे)
7	पैरा–13	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी द्वारा मन्दिर बोर्ड के द्वार के पास शौचालयों व स्नानागारों के संचालन का ठेका सुल्भ अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संस्था को निशुल्क दिए जाने के बावजूद भी प्राकलन के आधार पर ₹3845436/– का भुगतान करने बारे)
8	पैरा–14	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की सीढ़ियों के पास निर्मित शौचालय एवं स्नानागृह का ठेका मैसर्ज जय माँ इन्टरप्राईजिज चिन्तपूर्णी को बिना फीस/शुल्क के देने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹188000/– की वित्तीय हानि के बारे में)
9	पैरा–15	अनिर्णीत	(निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना तीन वर्षों के लिए माँ ज्वाला जी के लाईव दर्शन का ठेका विस्तार

			डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई को अत्याधिक कम दरो ंपर देने बारे)
10	पैरा–16	अनिर्णीत	(माँ ज्वाला के लाईव दर्शन के संविदाकार विस्तास डिजीटल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा दो त्रैमासिक किश्तों की ₹62500/– कम जमा करवाने बारे)
11	पैरा–17	अनिर्णीत	(बिना टैण्डर बुलाएं लंगर का अवधि 1.3.10 से 30.9.12 का ठेका हेतु पुरानी दरों पर तथा अवधि 1.10.12 से आगामी 2 वर्षों हेतु 10**%** वृद्धि के साथ देने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹647900/– की वास्तविक हानि तथा भविष्य में होने वाली ₹645600/– की सम्भावित वित्तीय हानि क बारे में)
12	पैरा–18	अनिर्णीत	(लंगर संचालन के लिए 16 माह तक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों की सेवाएं संविदाकारों को उपलब्ध करवाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ₹295790/– का लाभ पहुँचाना)
13	पैरा–20	अनिर्णीत	(श्री विवेक सूद कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन एवं भत्तों के रूप में वर्ष 2008 से वर्ष 2010 के दौरान किए गए ₹59241/– के अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली बारे)
14	पैरा–21	अनिर्णीत	(श्री अनूप कुमार अनुबन्ध अध्यापक को मन्दिर न्यास के संस्कृत विद्यालय में नियमों के विपरीत नियमित नियुक्ति देने बारे)
15	पैरा–22	अनिर्णीत	(श्री नरेश कुमार वरिष्ट लिपिक को अनियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹29876/– का गलत एवं अधिक भुगतान करना)
16	पैरा–23	अनिर्णीत	(वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43967/– का अधिक

			एवं गलत भुगतान करना)
17	पैरा–24	अनिर्णीत	(श्री राजन बासुदेवा, सहायक अभियन्ता के आश्रितों को अर्जित अवकाश के एवज में ₹15750/– का अधिक एवं गलत भुगतान करना)
18	पैरा–25	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उपलक्ष्य में उनसे मकान किराया भत्ता व लाईसैन्स फीस की वसूली न करने बारे)
19	पैरा–26	अनिर्णीत	(मन्दिर अधिकारी के साथ सम्बद्ध गाड़ी का ₹300/– प्रति माह की दर से न्यूनतम स्थाई प्रभार न वसूलने बारे)
20	पैरा–27 (क) (ख)	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज मुक्त अग्रिम राशि स्वीकृत करने बारे तथा अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अग्रिम में से बची शेष राशि को देरी से जमा करवाने बारे)
21	पैरा–28	अनिर्णीत	(कॉमन पूल को अनियमित रूप में हस्तांतरित की गई ₹5 लाख के बारे में)
22	पैरा–29 (ख)	अनिर्णीत	(संविदाकार को अनैतिक, अप्रत्याशित एवं अपरोक्ष लाभ देने के प्रयोजन से अग्रिम ₹2000000/– का अनियमित रूप से दिया जाना तथा माप पुस्तिका में प्रविष्टि न करना तथा अनियमित रूप से दी गई अग्रिम राशि की आगामी चलित बिलों से 2 वर्षों तक वसूली न करने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹484761/– की वसूली न करने बारे)
23	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत	(संविदाकार से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली न करना)
24	पैरा–30	अनिर्णीत	(मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹16886/– का अधिक एवं गलत भुगतान)

25	पैरा–31	अनिर्णीत	(टैण्डर में भरे गए रेट में कटिंग/टैम्परिंग करके प्रथम न्यूनतम दर भरने वाली फर्म के स्थान पर द्वितीय न्यूनतम दर भरने वाली फर्म को कार्य आंबटित करना तथा तदानुसार मैसर्ज विश्वकर्मा ग्रामोद्योग धर्मशाला को ₹133755/– का अधिक भुगतान करना)
26	पैरा–32	अनिर्णीत	(विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु ₹661620/– का व्यय करने बारे)
27	पैरा–33	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा मिठाईयों की खरीद पर ₹59340/– का अनियमित व्यय करना तथा खरीदी गई मिठाईयों की भण्डार प्रविष्टि न करना एवं वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना)
28	पैरा–34	अनिर्णीत	(कम्पयूटर क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना व सरकारी उपक्रम से कम्पयूटरों का क्रय न करना)
29	पैरा–35	अनिर्णीत	(डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी को वर्ष 2011 में ₹20 लाख व वर्ष 2012 में ₹50 लाख अर्थात कुल ₹70 लाख प्रदान करने बारे)
30	पैरा–36	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी की गाड़ी संख्या एच0पी0 54–222 का बहुत कम प्रयोग करने से गाड़ी की प्रति किलोमीटर यात्रा पर अत्याधिक व्यय करने बारे में मन्दिर न्यास को लगभग ₹296597/– की हानि के बारे में)
31	पैरा–37	अनिर्णीत	(मन्दिर न्यास के जैनरेटर को चलाने हेतु निर्धारित खपत से 530.82 लीटर की खपत अधिक दर्शाने के परिणामस्वरूप अधिक प्रयोग किए गए डीजल के वास्तविक मूल्य ₹21481/– की वसूली करने बारे)
32	पैरा–38	अनिर्णीत	(कपड़ा स्टॉक रजिस्टर 18 में मदों के वास्तविक शेष

			की मात्रा से कम मात्रा दर्शाना)
33	पैरा–39	अनिर्णीत	(सम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे)
34	पैरा–40 (क)	अनिर्णीत	(श्री अश्वनी कुमार, सहायक रसोईये के निलम्बन आदेशों की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज न करना)
35	पैरा–40 (ख)	अनिर्णीत	(श्री प्रहलाद कुमार, सेवादार की सेवा पंजिका/अर्जित अवकाश के खाते में उनके द्वारा व्यतीत किए गए 7 दिन के अर्जित अवकाश को डेबिट न करना)
36	पैरा–40 (ग)	अनिर्णीत	(श्री विनोद कुमार शुक्ला डाक्टर होम्योपैथी की सेवा पंजिका/अवकाश खाते में शेष अवकाश का अधिक दर्शाया जाना)
37	पैरा–40 (घ)	अनिर्णीत	(श्री राजकुमार सहायक पलम्बर की सेवा पंजिका में उनके द्वारा अवधि 3.8.05 से 18.8.05 के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय किए गए 16 दिनों के अर्जित अवकाश की प्रविष्टि न करना)
38	पैरा–40 (ङ)	अनिर्णीत	(भददन पर्ची/रसीद प्रस्तुत न करने बारे)
39	पैरा–40 (च)	अनिर्णीत	(कुदना पर्ची प्रस्तुत न करना)
40	पैरा–40 (छ)	अनिर्णीत	(अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने बारे)
41	पैरा–40 (ज)	अनिर्णीत	(यात्रा भत्ता रजिस्टर तैयार न करने बारे)
42	पैरा–40 (झ)	अनिर्णीत	(टेलीफोन रजिस्टर तैयार न करना)
(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2013			
1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है)
2	पैरा–4	स्वतः निर्णीत	
3	पैरा–5 (क), (ख)(ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (क) (ख)	स्वतः निर्णीत	
5	पैरा–8 (क) से (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9	निर्णीत	(वांछित कार्यवाही की अनुपालना अब की जा रही है)

7	पैरा–10	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (क) से (ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	निर्णीत	(आयुक्त मन्दिर द्वारा पत्र संख्या 564–65 दिनांक 26.7.14 द्वारा स्वीकृति दे दी गई है)
10	पैरा–13	अनिर्णीत	
11	पैरा–15 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–16	अनिर्णीत	
13	पैरा–17	अनिर्णीत	
14	पैरा–18	अनिर्णीत	
15	पैरा–19	अनिर्णीत	
16	पैरा–20	अनिर्णीत	
17	पैरा–21	निर्णीत	(सेवा पुस्तिका में अवकाश की प्रविष्टि की पुष्टि कर ली गई)
18	पैरा–22	अनिर्णीत	
19	पैरा–23	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	401
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)36
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 8
अन्तशेष (दिनाँक 31.12.15 तक)	429